



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 52 पटना, बुधवार, 3 पौष 1947 (श0)
24 दिसम्बर 2025(ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 02-133	भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि। ---	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---	भाग-9—विज्ञापन ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। ---	भाग-9-क—चन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण। ---	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 134-135
भाग-4—बिहार अधिनियम ---	पुरक ---
	पुरक-क 136-152

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

वित्त विभाग

अधिसूचना

16 दिसम्बर 2025

सं० 1/स्था०(अंके०)-80/2024-12778/वि०-विभागीय अधिसूचना संख्या-13942 दिनांक-27.12.2024 के द्वारा नियुक्त/पदस्थापित बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी को कॉलम-4 में अंकित पदभार ग्रहण की तिथि से योगदान स्वीकृत किया जाता है-

क्र.	नाम	पदस्थापन कार्यालय	योगदान तिथि
1	2	3	4
1	सुश्री शिखा कुमारी सिंह	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, अरवल	01.07.2025 पूर्वाह्न

2. इसमें सक्षक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम चन्द्र मंडल, अवर सचिव।

उद्योग विभाग

(हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय)

प्रभार प्रतिवेदन

15 दिसम्बर 2025

सं० 1627-अधोहस्ताक्षरी में डॉ० विद्या नन्द सिंह, भा.प्र.से. (2013) आज दिनांक-15.12.2025 के पूर्वाह्न में निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद का स्वतः प्रभार ग्रहण करता हूँ।

(सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या: 1/पी-1012/2025-सा.प्र.-23228 दिनांक 12.12.2025 द्रष्टव्य)।

प्रतिहस्ताक्षरित

ह० अस्पष्ट,

सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

(डॉ० विद्या नन्द सिंह)

भारग्राही पदाधिकारी

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

अधिसूचनाएं

6 अक्टूबर 2025

सं० 10/थाना-04-16/2025-12715-गृह विभाग(आरक्षी शाखा) के स्वीकृत्यादेश संख्या-1824 दिनांक-31.12.1988 द्वारा जलई थाना को स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से निम्न तालिका विनिर्दिष्ट गाँव जो अबतक सहरसा जिला के महिषी अंचल के महिषी थाना के अन्तर्गत था, आगे उसी जिला और महिषी अंचल के "जलई थाना" में शामिल किया जाता है :-

क्र०	पंचायत का नाम	क्र०	गांव का नाम		प्रत्येक गांव का राजस्व थाना संख्या	थाना का नाम जिसके क्षेत्राधिकार से गाँव को काटा गया है
			हिन्दी में	अंग्रेजी में		
1.	तेलवा पूर्वी	1	आराघाट	Aara ghat	85	महिषी
		2	लक्ष्मीनियों	Lakshminia	85	महिषी
		3	महेशपुर	Maheshpur	85	महिषी
		4	लिलजा	Lilja	85	महिषी
		5	सुघरौल	Sughraul	85	महिषी
2.	तेलवा पश्चिमी	6	तेलवा	Telwa	85	महिषी
		7	तीराघाट	Tiraghat	79	महिषी
		8	उसराही	Ushrahi	79	महिषी
		9	भंथी	Bhanthi	79	महिषी
		10	नवादा	Nawada	80	महिषी
		11	समानी	Samani	78	महिषी
		12	पीपरपांती	Piparpanti	78	महिषी
		13	डुमरी सुपौल	Dumri Supaul	81 / 82	महिषी
		14	खोराबरतर	Khorabartar	80	महिषी
		15	हुलासडीह	Hulsadih	85	महिषी
		16	सहोरवा	Sahorwa	76	महिषी
3.	बघवा	17	बघवा	Baghwa	83	महिषी
		18	गंडौल	Gandaul	72	महिषी
		19	फोरसाही टोला	Forsahi Tola	83	महिषी
		20	धपारी	Dhapari	84	महिषी
		21	बहरामपुर	Baharampur	71	महिषी
		22	पुनाच	Punach	72	महिषी
4.	आरापट्टी	23	थनवार	Thanwar	87	महिषी
		24	मुरली	Murli	86	महिषी
		25	हरदियाबासा	Hardiya Basa	86	महिषी
		26	खजुराहा	Khajuraha	86	महिषी
		27	मजरही	Majrahi	86	महिषी
		28	कुम्हरा	Kumhara	87	महिषी
		29	आरापट्टी	Aarapatti	86	महिषी
		30	इस्लामपुर	Islampur	86	महिषी
5.	मनोवर	31	जलई	Jalai	73	महिषी
		32	जलई पूर्णवास	Jalai Punarwas	73	महिषी
		33	सिद्धिकपूर	Siddhikpur	73	महिषी
		34	मनोवर	Manowar	74	महिषी
		35	झमटा	Jhamta	73	महिषी
		36	इस्लामपुर टोला	Islampur Tola	74	महिषी
6.	भेलाही	37	भेलाही	Bhelahi	66	महिषी
		38	बहोरवा	Bahorwa	66	महिषी
		39	कौआखोन	Kauakhon	66	महिषी
7.	कुन्दह	40	कुन्दह	Kundah	63	महिषी
		41	बलियासिमर	Baliasimar	64	महिषी
		42	कौराटोल	Kauratol	65	महिषी

		43	कोरगांव	Korgaon	65	महिषी
		44	सरडीहा	Sardiha	58	महिषी
		45	प्राणपुरा	Pranpur	88	महिषी
8.	वीरगांव	46	चतरिया	Chataria	68	महिषी
		47	वीरगांव	Birgaon	67	महिषी
		48	तरही	Tarhi	69	महिषी
		49	बहरामपुर	Bahrampur	71	महिषी
		50	अमाही मोहनपुर	Amahi Mohanpur	70	महिषी
		51	सोहरवा	Soharwa	76	महिषी
		52	बालुबाड़ी	Baluwari	120	महिषी
9.	घोघेपुर	53	कमलपुर	Kamalpur	75	महिषी
		54	शंकरथुआ	Shankarthua	75	महिषी
		55	अंधेरी टोला	Andheri Tola	77	महिषी
		56	पचभिण्डा	Pachbhinda	77	महिषी
		57	सहोरवा	Sahorwa	76	महिषी
		58	घोघेपुर	Ghoghepur	120	महिषी

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
इन्दु भूषण सिंह, अवर सचिव।

6 अक्टूबर 2025

सं० 10/थाना-04-16/2025-12714—गृह विभाग(आरक्षी शाखा) के स्वीकृत्यादेश संख्या-1828 दिनांक-25.02.1981 द्वारा सोनवर्षा कचहरी थाना को स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से निम्न तालिका विनिर्दिष्ट गाँव जो अबतक सहरसा जिला के कहरा अंचल के सदर, सहरसा एवं बनगाँव थाना के अन्तर्गत था, आगे उसी जिला और कहरा अंचल के “सोनवर्षा कचहरी थाना” में शामिल किया जाता है :-

क्र०	पंचायत का नाम	क्र०	गाँव का नाम		प्रत्येक गाँव का राजस्व थाना संख्या	थाना का नाम जिसके क्षेत्राधिकार से गाँव को काटा गया है
			हिन्दी में	अंग्रेजी में		
1.	अमरपुर	1	अमरपुर	Amarpur	212	सदर, सहरसा
		2	खड़गपुर	Kharagpur	215	सदर, सहरसा
		3	खड़गपुर	Kharagpur	216	सदर, सहरसा
		4	हरिपुर	Haripur	217	सदर, सहरसा
		5	अमरपुर	Amarpur	213	सदर, सहरसा
2.	मोहनपुर	6	मोहनपुर (दुधैला)	Mohanpur(Dudhaila)	209	सदर, सहरसा
		7	बलुआहा	Baluaaha	210	सदर, सहरसा
		8	परमिनिया	Parminiya	199	सदर, सहरसा
		9	परमिनिया	Parminiya	200	सदर, सहरसा
		10	परमिनिया	Parminiya	201	सदर, सहरसा
		11	परमिनिया	Parminiya	202	सदर, सहरसा
		12	विशनपुर	Bishanpur	211	सदर, सहरसा
		13	विशनपुर	Bishanpur	214	सदर, सहरसा
3.	दिवारी	14	धकजरी	Dhakjari	206	सदर, सहरसा
		15	भरौली	Bharauli	207	सदर, सहरसा

	16	दिवारी	Diwari	203	सदर, सहरसा
	17	विशनपुर	Bishanpur	208	सदर, सहरसा
	18	ढोली	Dholi	205	बनगाँव

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
इन्दु भूषण सिंह, अवर सचिव।

भवन निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

26 सितम्बर 2025

1. अधिसू० सं०-भवन/स्था०-01-पद०-04/2023-9126(भ)—श्री अशोक कुमार, मुख्य अभियंता (दक्षिण) के सचिव प्रावैधिकी (अतिरिक्त प्रभार मुख्य अभियंता, पटना के सचिव प्रावैधिकी) को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक अधीक्षण अभियंता, अग्रिम योजना अंचल, पटना, भवन निर्माण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

2. अधिसू० सं०-भवन/स्था०-01-पद०-04/2023-9127(भ)—श्री पवन कुमार, अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल, पटना, भवन निर्माण विभाग को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक अधीक्षण अभियंता, भवन निरूपण अंचल सं०-01 पटना एवं निदेशक, निरूपण इकाई, पटना भवन निर्माण विभाग के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

2. यह आदेश श्री रामबाबू प्रसाद की संविदा अवधि (दिनांक-30.09.2025) के समाप्ति के उपरान्त प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नीरज कुमार, अवर सचिव।

अधिसूचना (शुद्धि पत्र)

6 अक्टूबर 2025

सं० भवन/स्था०-01-पदस्थापन-03/2023-9308(भ)—भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना सं०-6081(भ) दिनांक-30.06.2025 के क्रमांक-19 पर अंकित “अरबाज अहमद/झांसी (उत्तर प्रदेश) के सामने कॉलम-3 में अंकित वर्तमान पदस्थापन “सहायक अभियंता, अवर प्रमंडल सं०-01, भवन प्रमंडल, सिवान” के स्थान पर “सहायक अभियंता, अवर प्रमंडल सं०-02, भवन प्रमंडल, सिवान” पढ़ा जाय।

2. उक्त अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझी जाय। शेष कंडिकाएँ एवं शर्तें यथावत् रहेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नीरज कुमार, अवर सचिव।

समाहरणालय, कैमूर (भभुआ) (स्थापना शाखा)

आदेश

22 अगस्त 2025

सं० 124/2025-26—अंचलाधिकारी,चाँद के पत्र सं०-396,दिनांक-21.04.2015 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक-21.04.2015 को श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, राजस्व कर्मचारी,अंचल चाँद को निगरानी दल द्वारा रिश्तव लेने के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, राजस्व कर्मचारी, अंचल चाँद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित भाग-IV के नियम- 09 कंडिका-(1) एवं (2) में वर्णित प्रावधानों के तहत दिनांक-21.04.2015 के प्रभाव से निलम्बित करते हुए निलम्बन अवधि में **मुख्यालय जिला राजस्व शाखा, कैमूर** निर्धारित किया गया। अंचलाधिकारी,चाँद को श्री त्रिपाठी के विरुद्ध प्रपत्र “क” में आरोप पत्र गठित कर चार प्रति में साक्ष्य सहित उचित माध्यम से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। अंचलाधिकारी, चाँद के पत्र सं०-397, दिनांक-24.04.2015 द्वारा हल्का-बिउरी, चाँद के राजस्व कार्यों के प्रभावित होने के कारण इन्वेन्ट्री सूची तैयार करने हेतु दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आलोक में इस कार्यालय के आदेश सं०-29/2015-16, ज्ञापांक-704/ स्था०, दिनांक-14.05.2015 द्वारा श्री त्रिपाठी के स्थानीय कार्यालय,सामुदायिक भवन,बिउरी (चाँद) एवं हल्का सं०-01 का इन्वेन्ट्री तैयार करने हेतु श्री मोहन कुमार यादव,कार्यपालक दण्डाधिकारी, भभुआ को नियुक्त किया गया।

पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो,बिहार,पटना के पत्रांक-958/अप०शा०, दिनांक-29.05.2015 द्वारा निगरानी थाना कांड सं०-031/2015, दिनांक-21.04.2015, धारा-7/13(2)-सह-पठित धारा-13(1)(डी) भ्र०नि०अधि०, 1988 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री त्रिपाठी के विरुद्ध धारा-19 भ्र०नि०अधि०,1988 के प्रावधानों के तहत अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव

प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव के आलोक में श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, चाँद के विरुद्ध जिला विधि शाखा,कैमूर के आदेश ज्ञापांक-1638/विधि, दिनांक-13.06.2015 द्वारा अभियोजन स्वीकृत किया गया।

श्री त्रिपाठी द्वारा कारावास से जमानत पर रिहा होने के पश्चात दिनांक-24.08.2015 के पूर्वाह्न में निलम्बन अवधि में निर्धारित मुख्यालय जिला राजस्व शाखा, कैमूर में योगदान समर्पित किया गया।

अनुमण्डल पदाधिकारी,भभुआ के पत्रांक-216/स्था0, दिनांक-10.11.2015 द्वारा श्री त्रिपाठी के विरुद्ध प्रपत्र "क" में गठित आरोप पत्र को अनुमोदनोपरान्त उपलब्ध कराया गया। उक्त आरोप पत्र को अनुमोदित करते हुए इस कार्यालय के आदेश सं0-111/2015-16, ज्ञापांक-1526/स्था0, दिनांक-23.11.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु श्री रामाशंकर सिंह, अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच,कैमूर को संचालन पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी,चाँद को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री त्रिपाठी द्वारा दिनांक-24.06.2017 को प्राप्त आवेदन एवं श्री रामा शंकर सिंह, तत्कालीन अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच,कैमूर का स्थानान्तरण जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में हो जाने के कारण इस कार्यालय के आदेश सं0-44/2017-18, ज्ञापांक-789/स्था0, दिनांक-17.07.2017 द्वारा श्री त्रिपाठी के विरुद्ध पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही का निष्पादन हेतु श्री रविन्द्र कुमार,प्रभारी अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच,कैमूर को प्राधिकृत किया गया।

प्रभारी अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, कैमूर (भभुआ) के पत्रांक-101/वि0जाँ0शा0, दिनांक-01.11.2017 द्वारा श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी,निलम्बित राजस्व कर्मचारी,अंचल कार्यालय चाँद मुख्यालय जिला राजस्व शाखा,कैमूर के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि निगरानी न्यायालय में मामला विचारणीय है, उक्त निगरानी न्यायालय के अन्तिम निर्णय के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है।

उक्त आलोक में इस कार्यालय आदेश सं0-138/2017-18, ज्ञापांक-102/स्था0, दिनांक-02.02.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 18 के प्रावधानों के तहत श्री त्रिपाठी के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को पुनः संचालित किये जाने हेतु डॉ0 फातेह फैयाज, प्रभारी अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच,कैमूर को नामित किया गया।

विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में ही डॉ0 फातेह फैयाज, प्रभारी अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच,कैमूर का स्थानान्तरण होने के पश्चात कार्यालय आदेश सं0-27/2018-19, ज्ञापांक-584/स्था0, दिनांक-19.05.2018 द्वारा श्री रमेश चन्द्र चौधरी,वरीय उप समाहर्ता-सह-प्रभारी विभागीय जाँच,कैमूर को संचालन पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, चाँद को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया।

श्री रमेश चन्द्र चौधरी,वरीय उप समाहर्ता-सह-प्रभारी विभागीय जाँच,कैमूर के पत्रांक-15/वि0जाँ0शा0, दिनांक-15.06.2018 द्वारा श्री त्रिपाठी के विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें आरोप प्रमाणित पाया गया। श्री त्रिपाठी के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोप प्रमाणित पाये जाने के पश्चात इस कार्यालय के पत्र सं0-780/स्था0 दिनांक 23.06.2018 द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा की मांग की गयी। श्री त्रिपाठी द्वारा दिनांक 02.07.2018 को द्वितीय कारण-पृच्छा समर्पित करने हेतु आवेदन पत्र के माध्यम से दो सप्ताह के समय का मांग किया गया। उक्त मांग के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक-948/स्था0 दिनांक 27.07.2018 द्वारा समयावधि की स्वीकृति दी गयी। श्री त्रिपाठी द्वारा पुनः दिनांक 07.08.2018 को पूरक द्वितीय कारण-पृच्छा प्रस्तुत किये जाने हेतु दो सप्ताह की मांग की गयी। श्री त्रिपाठी द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा एवं पूरक द्वितीय कारण-पृच्छा समर्पित करने हेतु बार-बार अवधि विस्तारित करने का आवेदन दिया जाता रहा तथा श्री त्रिपाठी द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

श्री त्रिपाठी द्वारा 75 प्रतिशत जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान हेतु आवेदन पत्र दिया गया। उक्त आवेदन पत्र के आलोक में इस कार्यालय के आदेश सं0-146/2018-19, ज्ञापांक-1451/स्था0 दिनांक 23.11.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के उप नियम-1 (I) एवं (II) के आलोक में गुणावगुण की समीक्षोपरान्त पूर्व में निर्गत आदेश सं0-21/2018-19, ज्ञापांक-586/स्था0 दिनांक 19.05.2018 को निरस्त करते हुए श्री त्रिपाठी का 50 प्रतिशत जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान करने एवं **C.W.J. No-17601/2017** सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में न्यायालय द्वारा दिनांक 18.08.2018 को पारित आदेश के आलोक में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-301/स्था0 दिनांक 18.02.2019 द्वारा श्री त्रिपाठी को दिनांक 16.02.2019 के प्रभाव से निलम्बन मुक्त करते हुए अंचल कार्यालय,भभुआ में पदस्थापित करते हुए जिला राजस्व कैमूर में प्रतिनियुक्त किया गया तथा श्री त्रिपाठी को अन्तिम दण्ड के बिन्दु पर निगरानी न्यायालय/विभागीय जाँच के निर्णय/फलाफल के आधार पर लिये जाने का निर्णय लिया गया।

अंचलाधिकारी, भभुआ के पत्र सं0-3747 दिनांक 05.08.2025 द्वारा सूचित किया गया कि श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, राजस्व कर्मचारी अंचल भभुआ के विरुद्ध निगरानी न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया गया है। विशेष न्यायाधीश निगरानी विभाग,पटना द्वारा विशेष केस सं0-17/2015 सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी बनाम बिहार सरकार (**Arising out of Vigilance P.S. case No.-31/2015 Dated 21.04.2015**) में दिनांक 04.08.2025 को पारित आदेश निम्नवत है:-

(35) So Considering the facts that this is first offence and he is 56 years old and sole earning member of the family, the convict Surendra Nath Tripathi is Sentenced to undergo 3 (three) years imprisonment and pay a fine of Rs. 10,000/- (Ten thousand) under Section 7

P.C. Act and he is directed further to undergo RI for 4 (four) years and to pay a fine of Rs. 10,000/- (Ten thousand) under section 13(2) r/w 13(1)(d) for the Prevention of Corruption Act 1988. And in default of payment of the fine, he will undergo imprisonment for one (1) months in addition to the substantive punishment. Both the sentences shall run concurrently. The period already undergone by the convict if any as under-trial prisoner shall be set-off from the sentences so awarded.

निगरानी न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश एवं विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा पाये गये प्रमाणित आरोप एवं C.W.J. No-17601/2017 सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश में लिये गये निर्णय के आलोक में मैं सुनील कुमार, भा0प्र0से0, समाहर्ता-सह-जिलाधिकारी, कैमूर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियमावली, 2005 यथा संशोधित नियम 14(XI) के शास्तियों के तहत "सेवा से बर्खास्त" (Dismissal From Service) करता हूँ।

श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, राजस्व कर्मचारी से संबंधित विवरणी निम्नवत है :-

1.	कर्मचारी का नाम	:-	श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी
2.	पिता का नाम	:-	स्व0 कैलाश तिवारी
3.	पद का नाम	:-	राजस्व कर्मचारी
4.	जन्म तिथि	:-	01.07.1969
5.	नियुक्ति की तिथि	:-	01.10.1992
6.	सेवानिवृत्ति की तिथि	:-	30.06.2029
6.	वेतनमान	:-	9300-34800
8.	ग्रेड पे	:-	4600
9.	लेवल	:-	7
9.	कार्यालय का नाम	:-	अंचल कार्यालय,चाँद सम्प्रति अंचल कार्यालय,भभुआ
10.	स्थायी पता	:-	ग्राम+पो0-बेलौड़ी,थाना-मोहनियां,जिला-कैमूर(भभुआ)

आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)।

पटना उच्च न्यायालय

अधिसूचनाएं

1 अगस्त 2025

सं0 2271 नि0:-निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में जहाँ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) नियुक्त किया जाता है।

पुनः, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी को स्तम्भ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम पदनाम सहित एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी का नाम जहाँ स्थानांतरण के उपरांत नियुक्त किए गए हैं।	जिला का नाम
1	2	3	4
1.	श्री मो0 कामरान, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), अररिया	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) पूर्णियाँ स) पूर्णियाँ	पूर्णियाँ

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 1st August 2025

No. 2271 A:—The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Judicial Magistrate 1st Class -cum- Addl. Civil Judge (Jr. Division) in the Judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table.

Further, in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) / Sub-Section (3) of Section 9 of Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the High Court is pleased to confer upon the officer named below, the powers of Judicial Magistrate 1st Class for the district noted against his name in column no. 4 of the table.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and present place of posting	a) Designation at the new station b) Place where the officer is to be ordinarily stationed at. c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.	Name of the District
1	2	3	4
1.	Sri Md Kamran, J.M. 1 st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Araria	(a) Judicial Magistrate (b) Purnea (c) Purnea	Purnea

**By order of the High Court,
P.K. Malik, Registrar General.**

1 अगस्त 2025

सं० 2272 नि०:—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3)/ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित असैनिक न्यायाधीशों (कनीय कोर्ट) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की भी शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	जिला का नाम
1	2	3
1.	सुश्री अंकिता, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बिरौल (दरभंगा)	दरभंगा

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 1st August 2025

No. 2272 A:—In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) / Sub Section (3) of Section 9 of Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the High Court is pleased to confer upon the Civil Judges (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of Judicial Magistrate of the 1st Class for the District noted against her name in column no. 3 of the table.

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting.	Name of the Districts
1	2	3
1.	Ms. Ankita, J.M. 2 nd Class, Biraul (Darbhanga)	Darbhanga

By order of the High Court,
P.K. Malik, Registrar General.

14 अगस्त 2025

सं० 2352 नि०:—निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित पदाधिकारियों को, तालिका के स्तंभ-3 में निर्देशित स्थान एवं स्तम्भ 4 में दी गयी स्थानान्तरण श्रृंखला के अन्तर्गत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के रूप में कार्य हेतु स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

क्रम संख्या	पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान।	स्थान का नाम जहाँ पदाधिकारी स्थानान्तरित किए गए।	स्थानान्तरण श्रृंखला
1	2	3	4
1.	सुश्री शिल्पी सोनीराज, सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना।	सहरसा	दिनांक 31.08.2025 को सेवानिवृत्त हो रहे श्री गोपाल जी के स्थान पर।
2.	श्री संतोष कुमार तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मधेपुरा।	शेखपुरा	श्री पवन कुमार पाण्डे के स्थान पर जिनका सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना में स्थानांतरण एवं नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 14th August 2025

No. 2352 A :—The following Officers named in column no. 2 of the table given below are hereby transferred and posted as Principal District and Sessions Judges at the stations mentioned in column no. 3 of the table against their respective names and in chain as indicated in column no. 4 of the table given below :-

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting.	Name of the station where the officer has been transferred.	Chain of Transfer
1	2	3	4
1.	Ms. Shilpee Soniraj, Member Secretary, Bihar State Legal Service Authority, Patna.	Saharsa	Vice Sri Gopal Ji, who is going to superannuate on 31.08.2025.
2.	Sri Santosh Kumar Tiwary, Principal Judge, Family Court, Madhepura.	Sheikhpura	Vice Sri Pawan Kumar Pandey, who has been recommended to be transferred & posted on

			deputation as Member Secretary, Bihar State Legal Service Authority, Patna.
--	--	--	---

**By order of the High Court,
P.K. Malik, Registrar General.**

23 अगस्त 2025

सं० 2434 नि०:—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री पवन कुमार पांडेय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा की सेवाएँ सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के रूप में नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन प्रतिनियुक्ति के आधार पर सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 23rd August 2025

No. 2434 A :—On being relieved of his present assignment, the services of Sri Pawan Kumar Pandey, Principal District and Sessions Judge, Sheikhpura are placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna for his appointment as Member Secretary, Bihar State Legal Services Authority, Patna, on deputation basis, for a maximum period of three years.

**By order of the High Court,
P.K. Malik, Registrar General.**

3 सितम्बर 2025

सं० 2544 नि०:—माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार, श्री दीपांकर पाण्डेय, निबंधक (आई टी)—सह—सी.पी.सी., पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, स्थानांतरित श्री अभिषेक कुमार दास के स्थान पर, निबंधक (नियुक्ति), पटना उच्च न्यायालय, पटना नियुक्त किया जाता है।

आगे, श्री पाण्डेय स्थानांतरित हुए श्री प्रजेश कुमार के स्थान पर निबंधक (निगरानी) का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे।

माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 3rd September 2025

No. 2544 A:—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to appoint Sri Dipankar Pandey, Registrar (IT) -cum- CPC, Patna High Court, Patna as Registrar (Appointment), Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his office, vice Sri Abhishek Kumar Das since transferred.

Further, Sri Pandey will hold additional charge of Registrar (Vigilance), Patna High Court, Patna vice Sri Prajesh Kumar since transferred.

**By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
P.K. Malik, Registrar General.**

3 सितम्बर 2025

सं० 2545 नि०:—माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार, श्री आनंद नन्दन सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेतिया, पश्चिमी चम्पारण को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से निबंधक (आई.टी.)—सह—सी.पी.सी., पटना उच्च न्यायालय, पटना नियुक्त किया जाता है।

माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 3rd September 2025

No. 2545 A: —Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to appoint Sri Anand Nandan Singh, Principal District and Sessions Judge, West Champaran at

Bettiah as Registrar (IT) -cum- CPC, Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his office.

**By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
P.K. Malik, Registrar General.**

3 सितम्बर 2025

सं० 2546 नि०:—माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार, श्री गौरव कमल, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, स्थानांतरित श्री कृष्ण प्रताप राणा के स्थान पर, संयुक्त निबंधक (आई.टी.), पटना उच्च न्यायालय, पटना नियुक्त किया जाता है।

माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 3rd September 2025

No. 2546 A: —Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to appoint Sri Gaurav Kamal, District and Additional Sessions Judge, Vaishali at Hajipur as Joint Registrar (IT), Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his office, vice Sri Krishna Pratap Rana since transferred.

**By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
P.K. Malik, Registrar General.**

3 सितम्बर 2025

सं० 2547 नि०:—माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार, श्री बलेन्द्र शुक्ला, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, झंझारपुर (मधुबनी) को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, श्री सुशील कुमार दीक्षित के स्थान पर, विशेष कार्य पदाधिकारी (इंफ्रास्ट्रक्चर), पटना उच्च न्यायालय, पटना नियुक्त किया जाता है।

माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 3rd September 2025

No. 2547 A: —Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to appoint Sri Balendra Shukla, District and Additional Sessions Judge, Jhanjharpur (Madhubani) as O.S.D. (Infrastructure), Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his office, vice Sri Sushil Kumar Dixit since transferred.

**By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
P.K. Malik, Registrar General.**

3 सितम्बर 2025

सं० 2548 नि०:—माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार, श्री अक्षय कुमार सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पटना को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, स्थानांतरित श्री कुमार अमित मनु के स्थान पर, संयुक्त निबंधक (स्थापना), पटना उच्च न्यायालय, पटना नियुक्त किया जाता है।

माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 3rd September 2025

No. 2548 A: —Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to appoint Sri Akshay Kumar Singh, District and Additional Sessions Judge, Patna as Joint Registrar (Establishment), Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his office, vice Sri Kumar Amit Manu since transferred.

**By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
P.K. Malik, Registrar General.**

4 सितम्बर 2025

सं0 2549 नि0:—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) श्रेणी के न्यायिक पदाधिकारियों को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान पर, जहाँ वह साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे, स्थानांतरित एवं पदस्थापित किए जाते हैं।

पुनः, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा (11) की उपधारा (3) / 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' की धारा (9) की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा नीचे नामित न्यायिक पदाधिकारियों को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान किए जाते हैं, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30:70 के अनुपात में हो।

क्रम सं0	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	(अ) नये स्थान पर पदनाम (ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान (स) जजी का नाम जहाँ स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है
1	2	3
1.	सुश्री अनुपमा, निबंधक, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना।	अ) असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)—सह —अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ब) पटना सिटी स) पटना
2.	सुश्री प्रीति आनंद, सहायक निदेशक (शोध और प्रशिक्षण), बिहार न्यायिक अकादमी, पटना।	अ) असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)—सह —अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ब) मोहनिया स) कैमूर

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 4th September 2025

No. 2549 A :—The Judicial officers of the rank of Civil Judge (Senior Division), named in column no. 2 of the table given below are transferred and posted in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station as mentioned in column no. 3 of the table against their name.

Further, in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) / Sub Section (3) of Section (9) of 'Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023', the High Court is pleased to confer upon the Officers named below the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the concerned District, provided that they shall work in such a way that their disposal of Civil and Criminal matters must be in the ratio of 30:70.

Sl. No.	Name of the officer, designation and present place of posting	(a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship in which transferred and posted
1	2	3
1.	Ms. Anupama Registrar, Bihar State Legal Services Authority, Patna.	a) Civil Judge (Senior Division)-cum-A.C.J.M. b) Patna City c) Patna

2.	Ms. Priti Anand Assistant Director (Research & Training), Bihar Judicial Academy, Patna.	a) Civil Judge (Senior Division)-cum- A.C.J.M. b) Mohania c) Kaimur
-----------	--	--

**By order of the High Court,
P.K. Malik, Registrar General.**

4 सितम्बर 2025

सं० 2550 नि०:—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोर्ट) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में जहाँ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी—सह—अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोर्ट) नियुक्त किया जाता है।

पुनः, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी को स्तम्भ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम पदनाम सहित एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी का नाम जहाँ स्थानांतरण के उपरांत नियुक्त किए गए हैं।	जिला का नाम
1	2	3	4
1.	सुश्री नेहा निहारिका सहायक निबंधक, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) पटना स) पटना	पटना

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 4th September 2025

No. 2550A:—The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Judicial Magistrate 1st Class-cum- Addl. Civil Judge (Jr. Division) in the Judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table.

Further, in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) / Sub-Section (3) of Section 9 of Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the High Court is pleased to confer upon the officer named below, the powers of Judicial Magistrate 1st Class for the district noted against her name in column no. 4 of the table.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and present place of posting	a) Designation at the new station b) Place where the officer is to be ordinarily stationed at. c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.	Name of the District
1	2	3	4
1.	Ms. Neha Niharika Assistant Registrar, B.S.L.S.A., Patna	(a) Judicial Magistrate (b) Patna (c) Patna	Patna

By order of the High Court,
P.K. Malik, Registrar General.

4 सितम्बर 2025

सं० 2551 नि० :—निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित पदाधिकारियों को, तालिका के स्तंभ-3 में निर्देशित स्थान एवं स्तम्भ 4 में दी गयी स्थानान्तरण श्रृंखला के अन्तर्गत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य हेतु स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

क्र० सं०	पदाधिकारियों का नाम पदनाम सहित एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान।	स्थान का नाम जहाँ पदाधिकारी स्थानांतरित किए गए।	स्थानान्तरण श्रृंखला
1	2	3	4
1.	श्री पुरुषोत्तम मिश्रा, निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, पटना।	भोजपुर स्थित आरा	निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण एवं पदस्थापना हेतु अनुशंसित श्री भरत भूषण भसीन के स्थान पर।
2.	सुश्री शिल्पी सोनीराज, सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार	नवादा	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सहरसा के पद पर स्थानांतरित एवं पदस्थापित श्री आशुतोष कुमार झा के स्थान पर।
3.	श्री प्रजेश कुमार, निबंधक (निगरानी), पटना उच्च न्यायालय, पटना।	पश्चिमी चम्पारण स्थित बेतिया	निबंधक (आईटी)—सह— सीपीसी, पटना उच्च न्यायालय, पटना के पद पर स्थानांतरित एवं पदस्थापित श्री आनंद नंदन सिंह के स्थान पर।
4.	श्री आशुतोष कुमार झा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नवादा।	सहरसा	दिनांक 31.08.2025 को सेवानिवृत्त श्री गोपाल जी के स्थान पर।
5.	श्री अभिषेक कुमार दास, निबंधक (नियुक्ति), पटना उच्च न्यायालय, पटना।	पूर्वी चम्पारण स्थित मोतिहारी	दिनांक 30.09.2025 को सेवानिवृत्त हो रहे श्री देवराज त्रिपाठी के स्थान पर।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 4th September 2025

No. 2551 A :—The following Officers named in column no. 2 of the table given below are hereby transferred and posted as District and Sessions Judges at the

stations mentioned in column no. 3 of the table against their respective names and in chain as indicated in column no. 4 of the table given below :

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting.	Name of the station where the officer has been transferred.	Chain of Transfer
1.	2.	3.	4.
1.	Sri Purushottam Mishra, Director, Bihar Judicial Academy, Patna.	Bhojpur at Ara	Vice Sri Bharat Bhushan Bhasin, who has been recommended to be transferred & posted on deputation as Director, Bihar Judicial Academy, Patna.
2.	Ms. Shilpee Soniraj, Member Secretary, Bihar State Legal Services Authority	Nawada	Vice Sri Ashutosh Kumar Jha, who has been transferred and posted as Principal District & Sessions Judge, Saharsa
3.	Sri Prajesh Kumar, Registrar (Vigilance), Patna High Court, Patna	West Champaran at Bettiah	Vice Sri Anand Nandan Singh, who has been transferred and posted as Registrar (IT)-Cum-CPC, Patna High Court, Patna
4.	Sri Ashutosh Kumar Jha, Principal District & Sessions Judge, Nawada	Saharsa	Vice Sri Gopal Ji, who superannuated on 31.08.2025.
5.	Sri Abhishek Kumar Das, Registrar (Appointment), Patna High Court, Patna	East Champaran at Motihari	Vice Sri Devraj Tripathi, who is going to superannuate on 30.09.2025.

**By order of the High Court,
P.K. Malik, Registrar General.**

4 सितम्बर 2025

सं० 2552 नि० :—निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के पदाधिकारियों को, तालिका के स्तंभ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करने हेतु स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

क्रम संख्या	पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित।	अ) नए स्थान का पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ स्थानांतरित किये गये हैं
1.	श्री कृष्ण प्रताप राणा, संयुक्त निबंधक (आईटी), पटना उच्च न्यायालय, पटना।	अ) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, ब) किशनगंज स) किशनगंज
2.	श्री सुशील कुमार दीक्षित, विशेष कार्य पदाधिकारी (इंफ्रास्ट्रक्चर), पटना उच्च न्यायालय, पटना।	अ) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, ब) झंझारपुर स) मधुबनी

3.	श्री कुमार अमित मनु, संयुक्त निबंधक (स्थापना), पटना उच्च न्यायालय, पटना।	अ) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, ब) बांका स) बांका
4.	श्री बिनय शंकर, अपर निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, पटना।	अ) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, ब) सुपौल स) सुपौल
5.	सुश्री दिव्या वशिष्ठ, उप निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, पटना।	अ) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, ब) औरंगाबाद स) औरंगाबाद
6.	श्री मुकेश कुमार-I, उप-संपादक, पटना उच्च न्यायालय, पटना।	अ) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, ब) कटिहार स) कटिहार

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 4th September 2025

No. 2552 A :—The District and Additional Sessions Judge rank officers, named in column no. 2 of the table given below are hereby transferred and posted as District and Additional Sessions Judges in the Judgeship to be stationed ordinarily at the places mentioned in column no. 3 of the table against their respective names :

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting with Judgeship	(a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be ordinarily stationed (c) Name of the Judgeship in which posted on transfer
1	2	3
1.	Sri Krishna Pratap Rana, Joint Registrar (IT), Patna High Court, Patna	(a) District and Additional Sessions Judge (b) Kishanganj (c) Kishanganj
2.	Sri Sushil Kumar Dixit, O.S.D. (Infrastructure), Patna High Court, Patna	(a) District and Additional Sessions Judge (b) Jhanjharpur (c) Madhubani
3.	Sri Kumar Amit Manu, Joint Registrar (Establishment), Patna High Court, Patna	(a) District and Additional Sessions Judge (b) Banka (c) Banka
4.	Sri Binay Shankar, Additional Director, Bihar Judicial Academy, Patna	(a) District and Additional Sessions Judge (b) Supaul (c) Supaul
5.	Ms. Divya Vashishta, Deputy Director, Bihar Judicial Academy, Patna	(a) District and Additional Sessions Judge (b) Aurangabad (c) Aurangabad
6.	Sri Mukesh Kumar I, Sub-Editor, Patna High Court, Patna.	(a) District and Additional Sessions Judge (b) Katihar (c) Katihar

**By order of the High Court,
P.K. Malik, Registrar General.**

9 सितम्बर 2025

सं० 2556 नि०:—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में जहाँ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) नियुक्त किए जाते हैं।

पुनः, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों को स्तम्भ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान किए जाते हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारियों का नाम पदनाम सहित एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी का नाम जहाँ स्थानांतरण के उपरांत नियुक्त किए गए हैं।	जिला का नाम
1	2	3	4
1.	श्री कुमार नरुन न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी- सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बक्सर	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) सासाराम स) रोहतास, सासाराम	रोहतास
2.	सुश्री तुलिका शंकर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी- सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), दानापुर (पटना)	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) सासाराम स) रोहतास, सासाराम	रोहतास

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 9th September 2025

No. 2556 A:—The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Judicial Magistrate 1st Class -cum- Addl. Civil Judge (Jr. Division) in the Judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table.

Further, in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) / Sub-Section (3) of Section 9 of Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the High Court is pleased to confer upon the officers named below, the powers of Judicial Magistrate 1st Class for the district noted against their names in column no. 4 of the table.

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting	a) Designation at the new station b) Place where the officer is to be ordinarily stationed at. c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.	Name of the District
1	2	3	4
1.	Sri Kumar Narun J.M. 1 st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Buxar	(a) Judicial Magistrate (b) Sasaram (c) Rohtas at Sasaram	Rohtas

2.	Ms. Tulika Shankar J.M. 1 st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Danapur (Patna)	(a) Judicial Magistrate (b) Sasaram (c) Rohtas at Sasaram	Rohtas
----	--	---	--------

By order of the High Court,
P.K. Malik, Registrar General.

12 सितम्बर 2025

सं० 2557 नि० :—सभी मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी जो इस रूप में कम-से-कम तीन साल की सेवा पूरी कर चुके हैं और जो व्यवहार न्यायालय में आगामी दुर्गापूजा अवकाश में कार्यरत रहेंगे उन्हें उस अवधि के लिए इसके द्वारा आवश्यक वस्तु (संशोधित) अधिनियम, 1964 (47, 1964) द्वारा यथा संशोधित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत उनके अपने-अपने जिलों/अनुमंडलों में उक्त अधिनियम की धारा-3 के अधीन बने किसी ऐसे आदेश जिसे राजपत्र अधिसूचित आदेश द्वारा उस संबंध में उल्लेखित है, के उल्लंघन के संबंध में हुए अपराधों के विषय में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 260(1) (सी) / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के संबंधित धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण करने की शक्तियाँ अस्थायी रूप से प्रदान की जाती हैं।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 12th September 2025

No. 2557A:—All the Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate and Judicial Magistrate 1st Class who have completed at least three years of service as such and who are detained during ensuing Civil Court's Durga Puja Vacation are hereby vested temporarily, for this period only, with power u/s 260(1)(c) of the code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) / corresponding section of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita- 2023 for the summary trial of offenses arising generally within their respective Districts/Sub-Divisions relating to the contravention of any order made under sections 3 of the Essential Commodities Act as amended by Essential Commodities (Amendment) Act, 1964 (no. 47 of 1964) and duly notified in the official Gazette as laid down in section 12A of the Essential Commodities Act 1955.

By orders of the High Court,
Pradeep Kumar Malik, Registrar General.

12 सितम्बर 2025

सं० 2558 नि० :— श्री कृष्ण प्रताप राणा, संयुक्त निबंधक (आईटी), पटना उच्च न्यायालय, पटना को किशनगंज जजशिप के स्थान पर रोहतास जजशिप के बिक्रमगंज अनुमंडल अंतर्गत जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

पटना उच्च न्यायालय की पूर्व अधिसूचना सं० 2552नि० दिनांक 04.09.2025 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित की जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 12th September 2025

No. 2558 A: —Sri Krishna Pratap Rana, Joint Registrar (IT), Patna High Court, Patna is transferred and posted as District and Additional Sessions Judge, Bikramganj Sub-division of Rohtas Judgeship instead of Kishanganj Judgeship.

Earlier Notification No. 2552A dated 04.09.2025 of the Patna High Court, issued vide Memo No. 73877-73905 dated 04.09.2025, stands modified upto the above extent only.

By order of the High Court,
P.K. Malik, Registrar General.

15 सितम्बर 2025

सं० 2559 नि०:—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) श्रेणी के न्यायिक पदाधिकारी को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में जहाँ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में स्थानांतरित पदस्थापित किए जाते हैं।

पुनः, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी प्रथम श्रेणी को स्तंभ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 12 की उपधारा (3)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 10 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी को उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित सत्र प्रमण्डल के लिए अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्ति किया जाता है।

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम पदनाम सहित एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी का नाम जहाँ स्थानांतरण के उपरांत नियुक्त किए गए हैं।	जिला का नाम	अनुमण्डल का नाम
1.	2.	3.	4.	5.
1.	सुश्री वंदना मधुकर, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी—सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), हिलसा (नालन्दा)	(अ) न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) बांका (स) बांका	बांका	बांका

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 15th September 2025

No. 2559 A :—The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is hereby transferred and posted as Judicial Magistrate in the Judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section 11 of the code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) / Sub Section (3) of Section 9 of *Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023*, the High Court is pleased to confer upon the officer named below, the powers of a Judicial Magistrate 1st Class for the District noted against her name in column no. 4 of the table, and

In exercise of the powers conferred under Sub Section (3) (a) of Section 12 of the said Criminal Procedure Code / Sub Section (3) of Section 10 of *Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023*, the Officer is designated as the Sub-Divisional Judicial Magistrate for the Sub-Division noted against her name in column no. 5 of the said table.

Sl. No.	Name of the Officer, designation and place of present posting.	(a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship in which appointed on transferer.	Name of the District	Name of the Sub-Division
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Ms. Vandana Madhukar, J.M. 1 st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Hilsa (Nalanda)	(a) Judicial Magistrate (b) Banka (c) Banka	Banka	Banka

By order of the High Court,
P.K. Malik, Registrar General.

18 सितम्बर 2025

सं० 2561 नि० :—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री आनंद भूषण, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद की सेवाएँ उप निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, पटना के रूप में नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन प्रतिनियुक्ति के आधार पर सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 18th September 2025

No. 2561A : —On being relieved of his present assignment, the services of Sri Anand Bhushan, District and Additional Sessions Judge, Aurangabad is placed at the disposal of the State Government in the General Administration Department, Patna for his appointment to the post of Deputy Director, Bihar Judicial Academy, Patna, on deputation basis for a maximum period of three years.

By order of the High Court,
P.K. Malik, Registrar General.

18 सितम्बर 2025

सं० 2562 नि० :—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री भारत भूषण भसीन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर (आरा) की सेवाएँ निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, पटना के रूप में नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन प्रतिनियुक्ति के आधार पर सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 18th September 2025

No. 2562A : —On being relieved of his present assignment, the services of Sri Bharat Bhushan Bhasin, Principal District and Sessions Judge, Bhojpur at Ara is placed at the disposal of the State Government in the General Administration Department,

Patna for his appointment to the post of Director, Bihar Judicial Academy, Patna, on deputation basis for a maximum period of three years.

**By order of the High Court,
P.K. Malik, Registrar General.**

18 सितम्बर 2025

सं० 2563 नि०:—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री संगम कुमार, सिविल जज (सिनियर डिवीजन)—सह-एसीजेएम, मोहनिया (कैमूर) की सेवाएँ सहायक निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण), बिहार न्यायिक अकादमी, पटना के रूप में नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन प्रतिनियुक्ति के आधार पर सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 18th September 2025

No. 2563 A :—On being relieved of his present assignment, the services of Sri Sangam Kumar, Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM, Mohania (Kaimur) is placed at the disposal of the State Government in the General Administration Department, Patna for his appointment to the post of Assistant Director (Research and Training), Bihar Judicial Academy, Patna, on deputation basis for a maximum period of three years.

**By order of the High Court,
P.K. Malik, Registrar General.**

18 सितम्बर 2025

सं० 2564 नि०:—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री निशिकांत ठाकुर, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सुपौल की सेवाएँ अपर निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, पटना के रूप में नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन प्रतिनियुक्ति के आधार पर सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 18th September 2025

No. 2564 A :—On being relieved of his present assignment, the services of Sri Nishikant Thakur, District and Additional Sessions Judge, Supaul is placed at the disposal of the State Government in the General Administration Department, Patna for his appointment to the post of Additional Director, Bihar Judicial Academy, Patna, on deputation basis for a maximum period of three years.

**By order of the High Court,
P.K. Malik, Registrar General.**

18 सितम्बर 2025

सं० 2565 नि०:—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री हेमंत कुमार, सिविल जज (सिनियर डिवीजन), महाराजगंज (सिवान) की सेवाएँ निबंधक, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के रूप में नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन प्रतिनियुक्ति के आधार पर सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 18th September 2025

No. 2565 A :—On being relieved of his present assignment, the services of Sri Hemant Kumar, Civil Judge (Senior Division), Maharajganj (Siwan) is placed at the disposal of the State Government in the General Administration Department, Patna for

his appointment to the post of Registrar, Bihar State Legal Service Authority, Patna, on deputation basis for a maximum period of three years.

**By order of the High Court,
P.K. Malik, Registrar General.**

26 सितम्बर 2025

सं० 2672 नि०:—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) श्रेणी के न्यायिक पदाधिकारियों को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान पर, जहाँ वह साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे, स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

पुनः, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा (11) की उपधारा (3)/‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023’ की धारा (9) की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे पदाधिकारियों को, जिनका स्थानांतरण एवं पदस्थापन असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)—सह—अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में हुआ है, उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30:70 के अनुपात में हो।

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	(अ) नये स्थान पर पदनाम (ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान (स) जजी का नाम जहाँ स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है
1	2	3
1.	श्री हेमंत कुमार (बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना में निबंधक के पद पर पदस्थापन हेतु अधिसूचित एवं वर्तमान में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना में विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित)	अ) असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) ब) महाराजगंज स) सीवान
2.	श्री संजय कुमार सरोज असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)—सह —अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पूर्णियाँ।	अ) असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)—सह —अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ब) सहरसा स) सहरसा
3.	सुश्री प्रीति आनंद, [असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)—सह —अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मोहनिया (कैमूर) के रूप में स्थानांतरण एवं पदस्थापन के लिए आदेशित एवं वर्तमान में विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में पटना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्री में संलग्न]	अ) असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)—सह —अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ब) पटना स) पटना

ज्ञापांक 73713—73748 दिनांक 04.09.2025 के माध्यम से निर्गत न्यायालय की अधिसूचना सं० 2549नि० दिनांक 04.09.2025 को, जहाँ तक वह उपर्युक्त क्र०सं० 03 पर उल्लिखित सुश्री प्रीति आनंद के स्थानांतरण एवं पदस्थापन से संबंधित है, उक्त हद तक संशोधित किया जाता है।

उनका पदस्थापन पटना में 06 माह के लिए तुरंत योगदान करने के निर्देश के साथ किया जाता है। पटना व्यवहार न्यायालय में योगदान हेतु उपस्थित होने के 06 माह के उपरांत उनको मोहनिया (कैमूर) में पहले की उक्त अधिसूचना के तहत योगदान करना होगा।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 26th September 2025

No. 2672 A :—The Judicial officers of the rank of Civil Judge (Senior Division), named in column no. 2 of the table given below are hereby transferred and posted in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station as mentioned in column no. 3 of the table against their names.

Further, in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) / Sub Section (3) of Section (9) of 'Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023', the High Court is pleased to confer upon the Officers, who have been transferred and posted as Civil Judge (Senior Division)-cum-A.C.J.M., the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the concerned District, provided that they shall work in such a way that their disposal of Civil and Criminal matters must be in the ratio of 30:70.

Sl. No.	Name of the officer, designation and present place of posting	(a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship in which transferred and posted
1	2	3
1.	Sri Hemant Kumar (Notified for posting as Registrar, Bihar State Legal Services Authority, Patna & presently posted as OSD, BSLSA, Patna]	a) Civil Judge (Senior Division) b) Maharajganj c) Siwan
2.	Sri Sanjay Kumar Saroj Civil Judge (Senior Division)-cum-A.C.J.M., Purnea.	a) Civil Judge (Senior Division)-cum-A.C.J.M. b) Saharsa c) Saharsa
3.	Ms. Priti Anand [under orders of transfer and posting as Civil Judge (Senior Division)-cum-A.C.J.M., Mohania (Kaimur) & presently attached to the Registry of Patna High Court as OSD]	a) Civil Judge (Senior Division)-cum-A.C.J.M. b) Patna c) Patna

The Court's **Notification No. 2549 A dated 04.09.2025** issued vide Memo No. **73713 – 73748 dated 04.09.2025** so far as it relates to transfer and posting of Ms. Priti Anand mentioned at Sl. No.-03 above **stands modified** to the above extent.

She is being posted at Patna **for six months with a direction to join at Patna forthwith.** Thereafter, she would **join at Mohania (Kaimur) in accordance with the earlier Notification aforesaid on completion of six months** from the date of reporting at Patna Civil Court.

By order of the High Court,
P.K. Malik, Registrar General.

27 सितम्बर 2025

सं० 2673 नि०:—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर सुश्री सिया श्रुति, प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, मुजफ्फरपुर की सेवाएँ सहायक निबंधक, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के रूप में नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन प्रतिनियुक्ति के आधार पर सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 27th September 2025

No. 2673 A :—On being relieved of her present assignment, the services of Ms. Siya Shruti, Principal Magistrate, Juvenile Justice Board, Muzaffarpur is placed at the disposal of the State Government in the General Administration Department, Patna for her appointment to the post of Assistant Registrar, Bihar State Legal Services Authority, Patna, on deputation basis for a maximum period of three years.

**By order of the High Court,
P.K. Malik, Registrar General.**

9 अक्टूबर 2025

सं० 2722 नि०:—माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार, श्री दुश्यंत कुमार, पीठासीन पदाधिकारी, एससी/एसटी के तहत अनन्य विशेष न्यायालय, मोतिहारी (वर्तमान में विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना उच्च न्यायालय, पटना में कार्यरत), डॉ० स्वाति दूबे, असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)—सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बेतिया (वर्तमान में विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना उच्च न्यायालय, पटना में कार्यरत) एवं श्री अभिनव कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी—सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), सीतामढ़ी (वर्तमान में विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना उच्च न्यायालय, पटना में कार्यरत) को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से क्रमशः निबंधक (न्यायालय एवं मामला प्रबंधन), पटना उच्च न्यायालय, पटना, उप निबंधक (न्यायालय एवं मामला प्रबंधन), पटना उच्च न्यायालय, पटना एवं सहायक निबंधक (न्यायालय एवं मामला प्रबंधन), पटना उच्च न्यायालय, पटना के रूप में नियुक्त किए जाते हैं।

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 9th October 2025

No. 2722 A:—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Dushyant Kumar, P.O ., Exclusive Special Court under SC/ST Act, Motihari (presently working as O.S.D., Patna High Court, Patna) as Registrar (Court and Case Management), Patna High Court, Patna, Dr. Swati Dubey , Civil Judge (Sr. Division) - cum- A.C.J.M., Bettiah (presently working as O.S.D., Patna High Court, Patna) as Deputy Registrar (Court and Case Management) and Sri Abhinav Kumar, J.M. 1 st Class -cum- Addl. Civil Judge (Jr. Division), Sitamarhi (presently working as O.S.D., Patna High Court, Patna) as Assistant Registrar (Court and Case Management) with effect from the date they assume charge of their respective offices.

**By order of Hon'ble the Chief Justice,
P.K. Malik, Registrar General.**

10 अक्टूबर 2025

सं० 2726 नि०:—31^{वीं} न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त निम्नलिखित असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) की सेवाएं 02 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी होने के उपरांत उनके नाम के सम्मुख स्तंभ-3 में उल्लेखित तिथि के प्रभाव से संपुष्ट की जाती है।

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान	संपुष्टि की तिथि
01.	सुश्री स्वीटी कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी—सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मुजफ्फरपुर।	(17.02.2025)
02.	सुश्री भावना नन्दा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी—सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पटना।	(21.02.2025)
03.	श्री राघव, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी—सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), दरभंगा।	(17.02.2025)

04.	सुश्री स्नेहा सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मुजफ्फरपुर।	(17.02.2025)
05.	सुश्री पायल मिश्रा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), छपरा, सारण।	(16.02.2025)
06.	श्री मानवेन्द्र सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बक्सर।	(15.02.2025)
07.	श्री कुमार नरुन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), सासाराम, रोहतास।	(20.02.2025)
08.	सुश्री शिवप्रिया, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मुजफ्फरपुर।	(17.02.2025)
09.	श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह राठौर, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), छपरा, सारण।	(15.02.2025)
10.	श्री गौरव तिवारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मोहनिया (कैमूर)।	(17.02.2025)
11.	श्री नवनीत कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बांका।	(14.02.2025)
12.	सुश्री अंजलि कपूर, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), हाजीपुर, वैशाली।	(15.02.2025)
13.	श्री ऋषि कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)।	(15.02.2025)
14.	सुश्री कुमारी अनामिका डागर, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), दानापुर (पटना)।	(20.02.2025)
15.	श्री सुधांशु रंजन सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), दरभंगा।	(17.02.2025)
16.	सुश्री सदफ मुस्तफा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), भागलपुर।	(15.02.2025)
17.	श्री अश्वनी कुमार राय, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), गया।	(20.02.2025)
18.	श्री पीयूष चावला, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), गया।	(16.02.2025)
19.	सुश्री ऐश्वर्या दीप, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), दानापुर (पटना)।	(21.02.2025)
20.	श्री राज पराशर, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), आरा, भोजपुर।	(17.02.2025)

21.	सुश्री स्मृति, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), गोपालगंज।	(15.02.2025)
22.	श्री अतुल रत्ना, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), आरा, भोजपुर।	(14.02.2025)
23.	श्री दिव्य दुर्गेश सिन्हा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), समस्तीपुर।	(14.02.2025)
24.	श्री अभिनव कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), सहरसा।	(14.02.2025)
25.	श्री अम्बुज कुमार दुबे, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), भागलपुर।	(17.02.2025)
26.	श्री यतेन्द्र सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), छपरा, सारण।	(15.02.2025)
27.	श्री कार्तिकेय केसरवानी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), छपरा, सारण।	(22.02.2025)
28.	श्री सन्नी गौरव, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बिहारशरीफ, नालन्दा।	(04.03.2025)
29.	श्री शिवम प्रताप सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), सीवान।	(17.02.2025)
30.	श्री आशुतोष गौतम, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), सीवान।	(14.02.2025)
31.	सुश्री ऋचा भारद्वाज, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), दानापुर (पटना)।	(20.02.2025)
32.	श्री सानू कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बेगूसराय।	(21.02.2025)
33.	श्री प्रशान्त त्रिपाठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), छपरा, सारण।	(16.02.2025)
34.	श्री गौरव कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), छपरा, सारण।	(17.02.2025)
35.	सुश्री वागीशा सुशान, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पटना।	(20.02.2025)
36.	श्री प्रभात कुमार चौधरी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), समस्तीपुर।	(16.02.2025)
37.	श्री मनीष रंजन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बेनीपट्टी (मधुबनी)।	(15.02.2025)

38.	सुश्री श्रिया कुशवाहा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), दानापुर (पटना)।	(25.02.2025)
39.	सुश्री अर्चिता सिन्हा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), दरभंगा।	(16.02.2025)
40.	श्री मणि शंकर मणि, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मुजफ्फरपुर।	(14.02.2025)
41.	श्री आकाश कुमार यादव, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), सासाराम, रोहतास।	(15.02.2025)
42.	श्री विकास कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), सीवान।	(17.02.2025)
43.	श्री मो0 सुहेल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पटना सिटी (पटना)।	(23.02.2025)
44.	सुश्री प्राची आचार्या, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मुजफ्फरपुर।	(14.02.2025)
45.	श्री सुनिल कुमार वर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), शेखपुरा।	(18.03.2025)
46.	श्री देवेश मिश्र, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण।	(17.02.2025)
47.	सुश्री पूनम तिवारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), गया।	(17.02.2025)
48.	सुश्री पूजा सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), गया।	(24.02.2025)
49.	श्री गौरव सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण।	(22.02.2025)
50.	श्री राकेश रंजन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), छपरा, सारण।	(14.02.2025)
51.	श्री चन्दन कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बक्सर।	(14.02.2025)
52.	श्री शम्स तबरेज, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बेतिया, पश्चिमी चम्पारण।	(20.02.2025)
53.	श्री अमित कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पूर्णियाँ।	(15.02.2025)
54.	सुश्री अग्रिमा शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), दानापुर (पटना)।	(15.02.2025)

55.	श्री अक्षय नारंग, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), गया।	(27.02.2025)
56.	श्री पियूष प्रसन्न, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), हाजीपुर, वैशाली।	(16.02.2025)
57.	सुश्री नैना जिन्दल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पटना सिटी (पटना)।	(20.02.2025)
58.	श्री कमलेश कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), खगड़िया।	(20.02.2025)
59.	सुश्री मारिया खान, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), सहरसा।	(01.03.2025)
60.	श्री अभिषेक पंवार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पटना।	(17.02.2025)
61.	श्री वेद प्रकाश तिवारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), गोपालगंज।	(16.02.2025)
62.	सुश्री आँचल दहिया, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पटना।	(23.02.2025)
63.	सुश्री निष्ठा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मुंगेर।	(24.02.2025)
64.	श्री दिवानन्द झा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मधुबनी।	(14.02.2025)
65.	श्री शिवांग श्रीवास्तव, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), गया।	(25.02.2025)
66.	सुश्री संचिता चौधरी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), दानापुर (पटना)।	(16.02.2025)
67.	श्री शलभ शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), दरभंगा।	(24.02.2025)
68.	सुश्री अनम सिद्दीकी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पटना सिटी (पटना)।	(27.02.2025)
69.	सुश्री किरण कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), समस्तीपुर।	(14.02.2025)
70.	सुश्री अनवरा खातून, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), गया।	(27.02.2025)
71.	श्री तौसीफुल हक अंसारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण।	(17.02.2025)

72.	सुश्री सलोनी कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), भागलपुर।	(14.02.2025)
73.	श्री शुभांकर शुक्ल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), औरंगाबाद।	(24.02.2025)
74.	श्री पप्पू कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बेतिया, पश्चिमी चम्पारण।	(23.02.2025)
75.	श्री आलोक कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बेगूसराय।	(21.02.2025)
76.	श्री निशांत रंजन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), हिलसा (नालन्दा)।	(17.02.2025)
77.	सुश्री आवृत्ती नैथानी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पटना। (वर्तमान में विशेष कार्य पदाधिकारी, नालसा, नई दिल्ली के रूप में प्रतिनियुक्त)	(20.02.2025)
78.	सुश्री अयोनिजा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पटना।	(23.02.2025)
79.	सुश्री मोनिका वर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), भागलपुर।	(21.02.2025)
80.	सुश्री शैल कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), दरभंगा।	(17.02.2025)
81.	श्री अभिनव कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), सीतामढ़ी। (वर्तमान में विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना उच्च न्यायालय, पटना के रूप में नियुक्त)	(27.02.2025)
82.	श्री दिव्येश कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), हिलसा (नालन्दा)।	(14.02.2025)
83.	श्री शुभम कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), सीवान।	(14.02.2025)
84.	सुश्री स्नेहा सुमन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मुजफ्फरपुर (पश्चिमी)।	(20.02.2025)
85.	सुश्री नेहा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), भागलपुर।	(17.02.2025)
86.	श्री आदित्य आनंद, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), नवादा।	(16.02.2025)

87.	श्री रूपेश कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), गोपालगंज।	(16.02.2025)
88.	सुश्री अंशु कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पटना।	(16.02.2025)
89.	सुश्री रुचि सिन्हा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), हाजीपुर, वैशाली।	(16.02.2025)
90.	श्री दीपक कुमार सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बिक्रमगंज (रोहतास)।	(15.02.2025)
91.	श्री हिकेश, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), कटिहार।	(20.02.2025)
92.	श्री सयद आमीर अली, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बाढ़ (पटना)।	(16.02.2025)
93.	श्री राजीव कुमार सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बेतिया, पश्चिमी चम्पारण।	(17.02.2025)
94.	श्री चेतन आनन्द, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), सुपौल।	(15.02.2025)
95.	श्री हसन तबरेज, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), सहरसा।	(14.02.2025)
96.	श्री नदीम अहमद, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बेतिया, पश्चिमी चम्पारण।	(27.02.2025)
97.	श्री संतोष कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), गोपालगंज।	(23.02.2025)
98.	श्री नरेश कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मधुबनी।	(14.02.2025)
99.	श्री ओम प्रकाश, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बेगूसराय।	(22.02.2025)
100.	श्री मो० कमरुज्जमॉ, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), नवादा।	(10.03.2025)
101.	सुश्री ऐश्वर्या प्रिया, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मुजफ्फरपुर (पश्चिमी)।	(14.02.2025)
102.	श्री मृणाल आर्यन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), जमुई।	(24.02.2025)
103.	सुश्री पल्लवी वर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बिहारशरीफ (नालन्दा)।	(16.02.2025)

104.	सुश्री आकाँक्षा आनंद, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बिहारशरीफ (नालन्दा)।	(16.02.2025)
105.	श्री आशुतोष कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मसौढ़ी (पटना)।	(16.02.2025)
106.	श्री मो० शारीक रहमान, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), झंझारपुर (मधुबनी)।	(14.02.2025)
107.	सुश्री अर्पिता सिन्हा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मुजफ्फरपुर (पश्चिमी)।	(15.02.2025)
108.	सुश्री प्रिया कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बेतिया, पश्चिमी चम्पारण।	(20.02.2025)
109.	सुश्री शाम्भवी वत्स, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण।	(16.02.2025)
110.	सुश्री ईल्याणा ऐश्वर्या किरण, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण।	(14.02.2025)
111.	सुश्री कुमारी निवेदिता, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), सीतामढ़ी।	(15.02.2025)
112.	श्री रोहित, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बेगूसराय।	(21.02.2025)
113.	सुश्री प्रीति कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), कटिहार।	(21.02.2025)
114.	श्री मो० कामरान, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पूर्णियाँ।	(16.02.2025)
115.	सुश्री शिखा प्रिया, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), छपरा, सारण।	(20.02.2025)
116.	श्री शशांक कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), खगड़िया।	(20.02.2025)
117.	सुश्री अपराजिता आनन्द, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पटना।	(17.02.2025)
118.	श्री सौरभ कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), रोसड़ा (समस्तीपुर)।	(20.02.2025)
119.	श्री निखिल कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), नवादा।	(17.02.2025)
120.	सुश्री अर्चना कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मुजफ्फरपुर।	(14.02.2025)

121.	श्री पियुष रंजन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मुजफ्फरपुर।	(15.02.2025)
122.	श्री प्रदीप कुमार रवि, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पूर्णियाँ।	(22.02.2025)
123.	श्री भवेश चन्द्रा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मुजफ्फरपुर।	(15.02.2025)
124.	श्री अनुराग वर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), गोपालगंज।	(21.02.2025)
125.	श्री कुमार विक्रम आदित्य, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), हिलसा (नालन्दा)।	(14.02.2025)
126.	सुश्री अनन्या, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मुंगेर।	(15.02.2025)
127.	श्री अजिताम, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बेगूसराय।	(22.02.2025)
128.	सुश्री फसिहा नाज फातमा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), झंझारपुर (मधुबनी)।	(20.02.2025)
129.	सुश्री कुमारी शौम्या, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), सीवान।	(17.02.2025)
130.	श्री अभिषेक कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), समस्तीपुर।	(16.02.2025)
131.	सुश्री कुमारी प्रीति, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), अररिया।	(21.02.2025)
132.	श्री उमा कान्त कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), सीतामढ़ी।	(16.02.2025)
133.	श्री अभिषेक कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), सीतामढ़ी।	(16.02.2025)
134.	श्री मानस सोनावाला, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), सीतामढ़ी।	(14.02.2025)
135.	सुश्री साक्षी प्रखर, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पटना।	(16.02.2025)
136.	श्री रत्नेश माँझी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), दरभंगा।	(16.02.2025)
137.	श्री आशीष कुमार सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), शेरघाटी (गया)।	(14.02.2025)

138.	श्री अभिनव राज, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), गया।	(14.02.2025)
139.	श्री दीपक कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), अरवल (जहानाबाद)।	(15.02.2025)
140.	श्री शादाब समर गौस, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), अररिया।	(20.02.2025)
141.	श्री मुकेश कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), अररिया।	(14.02.2025)
142.	सुश्री दीक्षा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), भागलपुर।	(16.02.2025)
143.	सुश्री अंजली कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मुजफ्फरपुर।	(15.02.2025)
144.	श्री मनीष कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), लखीसराय।	(16.02.2025)
145.	सुश्री शालिनी किरण, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बेगूसराय।	(20.02.2025)
146.	श्री अमित कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मंझौल (बेगूसराय)।	(20.02.2025)
147.	सुश्री आकांक्षा कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), लखीसराय।	(16.02.2025)
148.	श्री क्षितिज अनुपम, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बांका।	(16.02.2025)
149.	श्री मो0 रमीजुर रहमान, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), किशनगंज।	(20.02.2025)
150.	श्री विजय कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बांका।	(23.02.2025)
151.	सुश्री सुप्रिया शेखर, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मुजफ्फरपुर।	(21.02.2025)
152.	सुश्री शबनम, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), हाजीपुर, वैशाली।	(17.02.2025)
153.	श्री जुबैर अहमद, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), गया।	(20.02.2025)
154.	श्री तारिक शमीम, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बगहा (पश्चिमी चम्पारण)।	(17.02.2025)

155.	सुश्री कुमारी शिप्रा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मोहनिया (कैमूर)।	(14.02.2025)
156.	सुश्री कुसुम शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), छपरा, सारण।	(24.02.2025)
157.	श्री पंकज कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बीरपुर (सुपौल)।	(15.02.2025)
158.	श्री विकास गौरव, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), छपरा, सारण।	(14.02.2025)
159.	श्री अनंत कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), छपरा, सारण।	(14.02.2025)
160.	सुश्री मोनिका राज लक्ष्मी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पटना।	(16.02.2025)
161.	श्री जय प्रकाश महतो, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बाढ़ (पटना)।	(22.02.2025)
162.	सुश्री सुवर्णा नारायण, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पूर्णियाँ।	(20.02.2025)
163.	श्री सुमित कुमार सुमन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), लखीसराय।	(16.02.2025)
164.	श्री अनुराग, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), हिलसा (नालन्दा)।	(16.02.2025)
165.	श्री सौरभ कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), खगड़िया।	(20.02.2025)
166.	श्री पवन कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पुपरी (सीतामढ़ी)।	(25.02.2025)
167.	श्री प्रभात, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), अररिया।	(24.02.2025)
168.	श्री नारायण ठाकुर, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), कटिहार।	(20.02.2025)
169.	श्री अनिमेष रंजन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), जमुई।	(16.02.2025)
170.	श्री अजय कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बेतिया, पश्चिमी चम्पारण।	(15.02.2025)
171.	श्री अजीत कुमार शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), कटिहार।	(24.02.2025)

172.	सुश्री नुपूर प्रियदर्शी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), छपरा, सारण।	(24.02.2025)
173.	सुश्री नेहा कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पटना।	(17.02.2025)
174.	सुश्री अनुशा राज, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पटना।	(16.02.2025)
175.	श्री अहसन रशीद, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), जमुई।	(01.03.2025)
176.	सुश्री शगुप्ता शाहीन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण।	(14.02.2025)
177.	श्री सत्य प्रकाश, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मसौढ़ी (पटना)।	(16.02.2025)
178.	श्री नफीस कामरान, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), झंझारपुर (मधुबनी)।	(14.02.2025)
179.	सुश्री सौम्या सुमन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), छपरा, सारण।	(16.02.2025)
180.	सुश्री चित्रा कुन्दन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), छपरा, सारण।	(14.02.2025)
181.	सुश्री राखी कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), सुपौल।	(14.07.2025)
182.	सुश्री रत्ना कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), छपरा, सारण।	(16.02.2025)
183.	श्री अमित कुमार आर्यन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बाढ (पटना)।	(16.02.2025)
184.	श्री नवीन कुमार गौतम, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मसौढ़ी (पटना)।	(16.02.2025)
185.	श्री दिवाकर राम, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), हिलसा (नालन्दा)।	(16.02.2025)
186.	श्री राकेश कुमार दीपक, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बिरौल (दरभंगा)।	(16.02.2025)
187.	श्री मनोज कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बांका।	(22.02.2025)
188.	सुश्री तुलिका शंकर, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), सासाराम, रोहतास।	(16.02.2025)

189.	श्री मिथिलेश कुमार दास, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), अररिया।	(10.03.2025)
190.	सुश्री श्रेया, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पटना।	(20.02.2025)
191.	श्री शक्तिमान भारती, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मुंगेर।	(14.02.2025)
192.	सुश्री अरुणिमा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पटना।	(20.02.2025)
193.	श्री निखिल चन्द्रा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), सहरसा।	(16.02.2025)
194.	सुश्री नेहा कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), भागलपुर।	(16.02.2025)
195.	सुश्री रानी चौधरी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), दरभंगा।	(21.02.2025)
196.	सुश्री अनामिका कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मुंगेर।	(15.02.2025)
197.	श्री अनिश कुमार प्रभात, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण।	(15.02.2025)
198.	श्री आकाश कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), गया।	(14.07.2025)

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 10th October 2025

No. 2726 A:—The services of following Civil Judge (Junior Division) appointed on the basis of the result of 31st Judicial Service Competitive Examination are hereby confirmed after completion of two years of satisfactory service w.e.f the date indicated against their respective names :

Sl. No.	Name of the Officer, designation and present place of posting	Date of Confirmation
1.	Ms. Sweety Kumari, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Muzaffarpur	(17.02.2025)
2.	Ms. Bhawna Nanda, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Patna	(21.02.2025)
3.	Sri Raghav, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Darbhanga	(17.02.2025)

4.	Ms. Sneha Singh, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Muzaffarpur	(17.02.2025)
5.	Ms. Payal Mishra, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Saran at Chapra	(16.02.2025)
6.	Sri Manvendra Singh, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Buxar	(15.02.2025)
7.	Sri Kumar Narun, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Rohtas at Sasaram	(20.02.2025)
8.	Ms. Shivpriya, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Muzaffarpur	(17.02.2025)
9.	Sri Aishwarya Pratap Singh Rathore, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Saran at Chapra	(15.02.2025)
10.	Sri Gaurav Tiwari, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Mohania (Kaimur)	(17.02.2025)
11.	Sri Navneet Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Banka	(14.02.2025)
12.	Ms. Anjali Kapoor, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Vaishali at Hajipur	(15.02.2025)
13.	Sri Rishi Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), East Champaran at Motihari	(15.02.2025)
14.	Ms. Kumari Anamika Dagar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Danapur (Patna)	(20.02.2025)
15.	Sri Sudhanshu Ranjan Singh, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Darbhanga	(17.02.2025)
16.	Ms. Sadaf Mustafa, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Bhagalpur	(15.02.2025)
17.	Sri Ashwani Kumar Rai, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Gaya	(20.02.2025)
18.	Sri Piyush Chawla, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Gaya	(16.02.2025)
19.	Ms. Aishwarya Deep, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division),	(21.02.2025)

	Danapur (Patna)	
20.	Sri Raj Prashar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Bhojpur at Ara	(17.02.2025)
21.	Ms. Smriti, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Gopalganj	(15.02.2025)
22.	Sri Atul Ratna, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Bhojpur at Ara	(14.02.2025)
23.	Sri Divy Durgesh Sinha, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Samastipur	(14.02.2025)
24.	Sri Abhinav Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Saharsa	(14.02.2025)
25.	Sri Ambuj Kumar Dubey, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Bhagalpur	(17.02.2025)
26.	Sri Yatendra Singh, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Saran at Chapra	(15.02.2025)
27.	Sri Kartikey Kesarwani, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Saran at Chapra	(22.02.2025)
28.	Sri Sunny Gourav, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Nalanda at Biharsharif	(04.03.2025)
29.	Sri Shivam Pratap Singh, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Siwan	(17.02.2025)
30.	Sri Ashutosh Gautam, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Siwan	(14.02.2025)
31.	Ms. Richa Bhardwaj, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Danapur (Patna)	(20.02.2025)
32.	Sri Sanu Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Begusarai	(21.02.2025)
33.	Sri Prashant Tripathi, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Saran at Chapra	(16.02.2025)
34.	Sri Gaurav Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Saran at Chapra	(17.02.2025)

35.	Ms. Vageesha Sushan, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Patna	(20.02.2025)
36.	Sri Prabhat Kumar Chaudhary, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Samastipur	(16.02.2025)
37.	Sri Manish Ranjan, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Benipatti (Madhubani)	(15.02.2025)
38.	Ms. Shriya Kushwaha, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Danapur (Patna)	(25.02.2025)
39.	Ms. Archita Sinha, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Darbhanga	(16.02.2025)
40.	Sri Mani Shankar Mani, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Muzaffarpur	(14.02.2025)
41.	Sri Akash Kumar Yadav, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Rohtas at Sasaram	(15.02.2025)
42.	Sri Vikas Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Siwan	(17.02.2025)
43.	Sri Mohd Suhail, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Patna City (Patna)	(23.02.2025)
44.	Ms. Prachi Acharya, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Muzaffarpur	(14.02.2025)
45.	Sri Sunil Kumar Verma, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Sheikhpura	(18.03.2025)
46.	Sri Devesh Mishra, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), East Champaran at Motihari	(17.02.2025)
47.	Ms. Poonam Tiwari, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Gaya	(17.02.2025)
48.	Ms. Pooja Singh, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Gaya	(24.02.2025)
49.	Sri Gaurav Singh, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), East Champaran at Motihari	(22.02.2025)
50.	Sri Rakesh Ranjan, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division),	(14.02.2025)

	Saran at Chapra	
51.	Sri Chandan Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Buxar	(14.02.2025)
52.	Sri Shams Tabrez, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), West Champaran at Bettiah	(20.02.2025)
53.	Sri Amit Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Purnea	(15.02.2025)
54.	Ms. Agrima Sharma, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Danapur (Patna)	(15.02.2025)
55.	Sri Akshay Narang, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Gaya	(27.02.2025)
56.	Sri Piyush Prasann, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Vaishali at Hajipur	(16.02.2025)
57.	Ms. Naina Jindal, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Patna City (Patna)	(20.02.2025)
58.	Sri Kamlesh Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Khagaria	(20.02.2025)
59.	Ms. Mariya Khan, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Saharsa	(01.03.2025)
60.	Sri Abhishek Panwar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Patna	(17.02.2025)
61.	Sri Ved Prakash Tiwari, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Gopalganj	(16.02.2025)
62.	Ms. Aanchal Dahiya, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Patna	(23.02.2025)
63.	Ms. Nistha, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Munger	(24.02.2025)
64.	Sri Divanand Jha, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Madhubani	(14.02.2025)
65.	Sri Shivang Shrivastava, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Gaya	(25.02.2025)

66.	Ms. Sanchita Chaudhary, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Danapur (Patna)	(16.02.2025)
67.	Sri Shalabh Sharma, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Darbhanga	(24.02.2025)
68.	Ms. Anum Siddiqui, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Patna City (Patna)	(27.02.2025)
69.	Ms. Kiran Kumari, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Samastipur	(14.02.2025)
70.	Ms. Anwara Khatoon, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Gaya	(27.02.2025)
71.	Sri Taushiful Haque Ansari, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), East Champaran at Motihari	(17.02.2025)
72.	MS. Saloni Kumari, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Bhagalpur	(14.02.2025)
73.	Sri Shubhankar Shukla, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Aurangabad	(24.02.2025)
74.	Sri Pappu Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), West Champaran at Bettiah	(23.02.2025)
75.	Sri Alok Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Begusarai	(21.02.2025)
76.	Sri Nishant Ranjan, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Hilsa (Nalanda)	(17.02.2025)
77.	Ms. Aavritee Naithani, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Patna (Presently deputed as OSD in NALSA, New Delhi)	(20.02.2025)
78.	Ms. Ayonija, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Patna	(23.02.2025)
79.	Ms. Monika Verma, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Bhagalpur	(21.02.2025)
80.	Ms. Shail Kumari, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Darbhanga	(17.02.2025)

81.	Sri Abhinav Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Sitamarhi (Presently posted as OSD, Patna High Court, Patna)	(27.02.2025)
82.	Sri Divyesh Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Hilsa (Nalanda)	(14.02.2025)
83.	Sri Shubham Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Siwan	(14.02.2025)
84.	Ms. Sneha Suman, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Muzaffarpur (West)	(20.02.2025)
85.	Ms. Neha, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Bhagalpur	(17.02.2025)
86.	Sri Aaditya Anand, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Nawada	(16.02.2025)
87.	Sri Rupesh Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Gopalganj	(16.02.2025)
88.	Ms. Anshu Kumari, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Patna	(16.02.2025)
89.	Ms. Ruchi Sinha, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Vaishali at Hajipur	(16.02.2025)
90.	Sri Deepak Kumar Singh, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Bikramganj (Rohtas)	(15.02.2025)
91.	Sri Hreengkesh, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Katihar	(20.02.2025)
92.	Sri Sayed Aamir Ali, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Barh (Patna)	(16.02.2025)
93.	Sri Rajeev Kumar Singh, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), West Champaran at Bettiah	(17.02.2025)
94.	Sri Chetan Anand, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Supaul	(15.02.2025)
95.	Sri Hasan Tabrez, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Saharsa	(14.02.2025)

96.	Sri Nadim Ahmad, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), West Champaran at Bettiah	(27.02.2025)
97.	Sri Santosh Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Gopalganj	(23.02.2025)
98.	Sri Naresh Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Madhubani	(14.02.2025)
99.	Sri Om Prakash, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Begusarai	(22.02.2025)
100.	Sri Md. Qamruzzaman, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Nawada	(10.03.2025)
101.	Ms. Aishwarya Priya, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Muzaffarpur (West)	(14.02.2025)
102.	Sri Mrinal Aryan, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Jamui	(24.02.2025)
103.	Ms. Pallavi Versha, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Nalanda at Biharsharif	(16.02.2025)
104.	Ms. Akansha Anand, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Nalanda at Biharsharif	(16.02.2025)
105.	Sri Ashutosh Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Masaurhi (Patna)	(16.02.2025)
106.	Sri Md Sharique Rahman, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Jhanjharpur (Madhubani)	(14.02.2025)
107.	Ms. Arpita Sinha, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Muzaffarpur (West)	(15.02.2025)
108.	Ms. Priya Kumari, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), West Champaran at Bettiah	(20.02.2025)
109.	Ms. Shambhavi Vats, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), East Champaran at Motihari	(16.02.2025)
110.	Ms. Ilyana Aishwarya Kiran, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), East Champaran at Motihari	(14.02.2025)
111.	Ms. Kumari Nivedita, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division),	(15.02.2025)

	Sitamarhi	
112.	Sri Rohit, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Begusarai	(21.02.2025)
113.	Ms. Preity Kumari, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Katihar	(21.02.2025)
114.	Sri Md Kamran, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Purnea	(16.02.2025)
115.	Ms. Shikha Priya, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Saran at Chapra	(20.02.2025)
116.	Sri Shashank Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Khagaria	(20.02.2025)
117.	Ms. Aparajita Anand, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Patna	(17.02.2025)
118.	Sri Saurav Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Rosera (Samastipur)	(20.02.2025)
119.	Sri Nikhil Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Nawada	(17.02.2025)
120.	Ms. Archana Kumari, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Muzaffarpur	(14.02.2025)
121.	Sri Piyush Ranjan, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Muzaffarpur	(15.02.2025)
122.	Sri Pradeep Kumar Ravi, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Purnea	(22.02.2025)
123.	Sri Bhavesh Chandra, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Muzaffarpur	(15.02.2025)
124.	Sri Anurag Verma, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Gopalganj	(21.02.2025)
125.	Sri Kumar Vikram Aditya, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Hilsa (Nalanda)	(14.02.2025)
126.	Ms. Ananya, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Munger	(15.02.2025)

127.	Sri Ajitabh, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Begusarai	(22.02.2025)
128.	Ms. Fasiha Naaz Fatma, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Jhanjharpur (Madhubani)	(20.02.2025)
129.	Ms. Kumari Shaumya, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Siwan	(17.02.2025)
130.	Sri Abhishek Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Samastipur	(16.02.2025)
131.	Ms. Kumari Preeti, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Araria	(21.02.2025)
132.	Sri Uma Kant Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Sitamarhi	(16.02.2025)
133.	Sri Abhishek Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Sitamarhi	(16.02.2025)
134.	Sri Manas Sonawala, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Sitamarhi	(14.02.2025)
135.	Ms. Sakshi Prakhar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Patna	(16.02.2025)
136.	Sri Ratnesh Manjhi, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Darbhanga	(16.02.2025)
137.	Sri Ashish Kumar Singh, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Sherghati (Gaya)	(14.02.2025)
138.	Sri Abhinav Raj, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Gaya	(14.02.2025)
139.	Sri Deepak Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Arwal (Jehanabad)	(15.02.2025)
140.	Sri Shadab Samar Gous, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Araria	(20.02.2025)
141.	Sri Mukesh Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Araria	(14.02.2025)
142.	Ms. Diksha, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division),	(16.02.2025)

	Bhagalpur	
143.	Ms. Anjali Kumari, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Muzaffarpur	(15.02.2025)
144.	Sri Manish Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Lakhisarai	(16.02.2025)
145.	Ms. Shalini Kiran, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Begusarai	(20.02.2025)
146.	Sri Amit Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Manjhaul (Begusarai)	(20.02.2025)
147.	Ms. Akanksha Kumari, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Lakhisarai	(16.02.2025)
148.	Sri Kshitij Anupam, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Banka	(16.02.2025)
149.	Sri Md Rameezur Rahman, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Kishanganj	(20.02.2025)
150.	Sri Vijay Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Banka	(23.02.2025)
151.	Ms. Supriya Shekhar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Muzaffarpur	(21.02.2025)
152.	Ms. Shabnam, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Vaishali at Hajipur	(17.02.2025)
153.	Sri Zubair Ahmed, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Gaya	(20.02.2025)
154.	Sri Tarique Shamim, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Bagaha (West Champaran)	(17.02.2025)
155.	Ms. Kumari Shipra, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Mohania (Kaimur)	(14.02.2025)
156.	Ms. Kusum Sharma, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Saran at Chapra	(24.02.2025)
157.	Sri Pankaj Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Birpur (Supaul)	(15.02.2025)

158.	Sri Vikash Gaurav, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Saran at Chapra	(14.02.2025)
159.	Sri Anant Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Saran at Chapra	(14.02.2025)
160.	Ms. Monika Raj Laxmi, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Patna	(16.02.2025)
161.	Sri Jay Prakash Mahto, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Barh (Patna)	(22.02.2025)
162.	Ms. Suvarna Narayan, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Purnea	(20.02.2025)
163.	Sri Sumit Kumar Suman, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Lakhisarai	(16.02.2025)
164.	Sri Anurag, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Hilsa (Nalanda)	(16.02.2025)
165.	Sri Saurabh Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Khagaria	(20.02.2025)
166.	Sri Pawan Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Poopri (Sitamarhi)	(25.02.2025)
167.	Sri Prabhat, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Araria	(24.02.2025)
168.	Sri Narayan Thakur, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Katihar	(20.02.2025)
169.	Sri Animesh Ranjan, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Jamui	(16.02.2025)
170.	Sri Ajay Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), West Champaran at Bettiah	(15.02.2025)
171.	Sri Ajit Kumar Sharma, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Katihar	(24.02.2025)
172.	Ms. Nupur Priyadarshi, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Saran at Chapra	(24.02.2025)
173.	Ms. Neha Kumari, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division),	(17.02.2025)

	Patna	
174.	Ms. Anusha Raj, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Patna	(16.02.2025)
175.	Sri Ahsan Rashid, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Jamui	(01.03.2025)
176.	Ms. Shagufta Shaheen, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), East Champaran at Motihari	(14.02.2025)
177.	Sri Satya Prakash, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Masaurhi (Patna)	(16.02.2025)
178.	Sri Nafees Kamran, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Jhanjharpur (Madhubani)	(14.02.2025)
179.	Ms. Saumya Suman, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Saran at Chapra	(16.02.2025)
180.	Ms. Chitra Kundan, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Saran at Chapra	(14.02.2025)
181.	Ms. Rakhi Kumari, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Supaul	(14.07.2025)
182.	Ms. Ratna Kumari, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Saran at Chapra	(16.02.2025)
183.	Sri Amit Kumar Aryan, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Barh (Patna)	(16.02.2025)
184.	Sri Naveen Kumar Gautam, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Masaurhi (Patna)	(16.02.2025)
185.	Sri Diwakar Ram, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Hilsa (Nalanda)	(16.02.2025)
186.	Sri Rakesh Kumar Deepak, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Biraul (Darbhanga)	(16.02.2025)
187.	Sri Manoj Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Banka	(22.02.2025)
188.	Ms. Tulika Shankar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Rohtas at Sasaram	(16.02.2025)

189.	Sri Mithilesh Kumar Das, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Araria	(10.03.2025)
190.	Ms. Shreya, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Patna	(20.02.2025)
191.	Sri Shaktiman Bharti, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Munger	(14.02.2025)
192.	Ms. Arunima, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Patna	(20.02.2025)
193.	Sri Nikhil Chandra, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Saharsa	(16.02.2025)
194.	Ms. Neha Kumari, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Bhagalpur	(16.02.2025)
195.	Ms. Rani Choudhary, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Darbhanga	(21.02.2025)
196.	Ms. Anamika Kumari, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Munger	(15.02.2025)
197.	Sri Anish Kumar Prabhat, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), East Champaran at Motihari	(15.02.2025)
198.	Sri Akash Kumar, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Gaya	(14.07.2025)

**By order of the High Court,
P.K. Malik, Registrar General.**

31 अक्टूबर 2025

सं० 2755 नि०:—माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार श्री दिपांकर पाण्डेय, निबंधक (नियुक्ति)—सह-निबंधक (निगरानी) प्रभारी, पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से निबंधक (निगरानी), पटना उच्च न्यायालय, पटना के रूप नियुक्त किया जाता है।

माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 31st October 2025

No. 2755 A:—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to appoint Sri Dipankar Pandey, Registrar (Appointment)-cum-I/C Registrar (Vigilance), Patna High Court, Patna as Registrar (Vigilance), Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his office.

**By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
P.K. Malik, Registrar General.**

31 अक्तूबर 2025

सं० 2756 नि०:—माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार श्री रोहित शंकर, निबंधक (भर्ती एवं नियुक्ति) प्रभारी, पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, निबंधक (निगरानी), पटना उच्च न्यायालय, पटना के पद पर नियुक्त हुए श्री दिपांकर पाण्डेय, निबंधक (नियुक्ति)—सह—निबंधक निगरानी प्रभारी, पटना उच्च न्यायालय, पटना के स्थान पर, निबंधक (नियुक्ति), पटना उच्च न्यायालय, पटना के रूप में नियुक्त किया जाता है।

माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 31st October 2025

No. 2756 A:—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to appoint Sri Rohit Shankar, Registrar (Recruitment & Appointment), Patna High Court, Patna as Registrar (Appointment), Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his office, vice Sri Dipankar Pandey, Registrar (Appointment)-cum- I/c Registrar Vigilance, Patna High Court, Patna who has been appointed as Registrar (Vigilance), Patna High Court, Patna.

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
P.K. Malik, Registrar General.

31 अक्तूबर 2025

सं० 2757 नि०:—माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार श्री दधीच नारायण भारद्वाज, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पटना को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से निबंधक प्रभारी (भर्ती एवं नियुक्ति), पटना उच्च न्यायालय, पटना के रूप में नियुक्त किया जाता है।

माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 31st October 2025

No. 2757 A:—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to appoint Sri Dadhich Narayan Bhardwaj, District and Additional Sessions Judge, Patna as I/c Registrar (Recruitment & Appointment), Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his office.

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
P.K. Malik, Registrar General.

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

17 नवम्बर 2025

एस०ओ० 479, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राकेश कुमार देव, (नामांकन सं०-2461/2006), अधिवक्ता, अररिया को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में अररिया जिला के लिए अररिया जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-415/2025/7417/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

17 नवम्बर 2025

एसओ 479, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-415/2025/7417/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 17th November 2025

S.O. 479 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Rakesh Kumar Deo, (Enrolment No.- 2461/2006)**, Advocate, **Araria** a notary under the said Act who will act as such, in **Araria** district for the district of **Araria** for the next five years.

(File no. -A/Not-415/2025/7417/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

19 नवम्बर 2025

एसओ 480, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्री अरविन्द कुमार राय, (नामांकन सं०-2349/2009)**, अधिवक्ता, **गोपालगंज** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **गोपालगंज** जिला के लिए **गोपालगंज** जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-15/2025/7539/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

19 नवम्बर 2025

एसओ 480, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-15/2025/7539/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 19th November 2025

S.O. 480 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time)

time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Arvind Kumar Rai**, (Enrolment No.- 2349/2009), Advocate, **Gopalganj** a notary under the said Act who will act as such, in **Gopalganj** district for the district of **Gopalganj** for the next five years.

(File no. -A/Not-15/2025/7539/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

21 नवम्बर 2025

एसओ 481, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्री राम निवास यादव**, (नामांकन सं०-BR/1040/1992), अधिवक्ता, **जमुई** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **जमुई** जिला के लिए **जमुई** जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-96/2025/7619/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

21 नवम्बर 2025

एसओ 481, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-96/2025/7619/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 21st November 2025

S.O. 481 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Ram Nivas Yadav**, (Enrolment No.- BR/1040/1992), Advocate, **Jamui** a notary under the said Act who will act as such, in **Jamui** district for the district of **Jamui** for the next five years.

(File no. -A/Not-96/2025/7619/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

21 नवम्बर 2025

एसओ 482, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप

नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अभिषेक कुमार (नामांकन सं०-BR/101/2012) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-98/2025/7621/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

21 नवम्बर 2025

एस०ओ० 482, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-98/2025/7621/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 21st November 2025

S.O. 482 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Abhishek Kumar, (Enrolment No.-BR/101/2012) Advocate, Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-98/2025/7621/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

17 नवम्बर 2025

एस०ओ० 483, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री विक्रम दुष्यंत विजय, (नामांकन सं०-1813/2006), अधिवक्ता, पूर्णियाँ को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में पूर्णियाँ जिला के लिए पूर्णियाँ जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-110/2025/7400/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

17 नवम्बर 2025

एसओ 483, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं सं-ए/नोट-110/2025/7400/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 17th November 2025

S.O. 483 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Vikram Dushyant Vijoy, (Enrolment No.-1813/2006)**, Advocate **Purnea** a notary under the said Act who will act as such, in **Purnea** district for the district of **Purnea** for the next five years.

(File no. -A/Not-110/2025/7400/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

17 नवम्बर 2025

एसओ 484, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री **मुरलीधर मिश्र, (नामांकन सं-3930/1995)**, अधिवक्ता, पूर्णियाँ को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में पूर्णियाँ जिला के लिए पूर्णियाँ जिला में कार्य करेंगे।

(सं सं-ए/नोट-116/2025/7386/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

17 नवम्बर 2025

एसओ 484, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं सं-ए/नोट-116/2025/7386/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 17th November 2025

S.O. 484 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time)

time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Murlidhar Mishra, (Enrolment No.- 3930/1995), Advocate, Purnea** a notary under the said Act who will act as such, in **Purnea** district for the district of **Purnea** for the next five years.

(File no. -A/Not-116/2025/7386/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

18 नवम्बर 2025

एस0ओ0 485, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्री उदय कुमार सिंह, (नामांकन सं0-2935/2007), अधिवक्ता, पूर्णियाँ,** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **पूर्णियाँ,** जिला के लिए **पूर्णियाँ,** जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-122/2025/7444/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

18 नवम्बर 2025

एस0ओ0 485, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-122/2025/7444/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 18th November 2025

S.O. 485 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Uday Kumar Singh, (Enrolment No.- 2935/2007), Advocate, Purnea** a notary under the said Act who will act as such, in **Purnea** district for the district of **Purnea** for the next five years.

(File no. -A/Not-122/2025/7444/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

18 नवम्बर 2025

एस0ओ0 486, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप

नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रंजन कुमार गुप्ता, (नामांकन सं०-802/2007), अधिवक्ता, पूर्णियाँ को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में पूर्णियाँ जिला के लिए पूर्णियाँ जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-123/2025/7446/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

18 नवम्बर 2025

एस०ओ० 486, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-123/2025/7446/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 18th November 2025

S.O. 486 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ranjan Kumar Gupta, (Enrolment No.- 802/2007), Advocate, Purnea a notary under the said Act who will act as such, in Purnea district for the district of Purnea for the next five years.

(File no. -A/Not-123/2025/7446/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

13 नवम्बर 2025

एस०ओ० 487, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रहलाद प्रसाद यादव, (नामांकन सं०-BR/313/1988) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-138/2025/7318/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

13 नवम्बर 2025

एसओ 487, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-138/2025/7318/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 13th November 2025

S.O. 487 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Prahlad Prasad Yadav, (Enrolment No.- BR/313/1988)** Advocate **Bhagalpur** a notary under the said Act who will act as such, in **Bhagalpur** district for the district of **Bhagalpur** for the next five years.

(File no. -A/Not-138/2025/7318/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

21 नवम्बर 2025

एसओ 488, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री जय शंकर प्रसाद, (नामांकन सं०-BR/1379/1983), अधिवक्ता, बांका को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में बांका जिला के लिए बांका जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-149/2025/7623/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

21 नवम्बर 2025

एसओ 488, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-149/2025/7623/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 21st November 2025

S.O. 488 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time)

time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Jai Shankar Prasad, (Enrolment No.- BR/1379/1983)**, Advocate, **Banka** a notary under the said Act who will act as such, in **Banka** district for the district of **Banka** for the next five years.

(File no. -A/Not-149/2025/7623/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

21 नवम्बर 2025

एसओ 489, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्री आत्माराम यादव, (नामांकन सं०-BR/1298/2005)**, अधिवक्ता, **बांका** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **बांका** जिला के लिए **बांका** जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-151/2025/7624/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

21 नवम्बर 2025

एसओ 489, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-151/2025/7624/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 21st November 2025

S.O. 489 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Atmaram Yadav, (Enrolment No.- BR/1298/2005)**, Advocate, **Banka** a notary under the said Act who will act as such, in **Banka** district for the district of **Banka** for the next five years.

(File no. -A/Not-151/2025/7624/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

21 नवम्बर 2025

एसओ 491, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप

नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मोहम्मद महफूज आलम, (नामांकन सं०-BR/1326/1988), अधिवक्ता, मुंगेर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में मुंगेर जिला के लिए मुंगेर जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-163/2025/7620/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

21 नवम्बर 2025

एस०ओ० 491, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-163/2025/7620/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 21st November 2025

S.O. 491 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Mohammad Mahfooz Alam, (Enrolment No.- BR/1326/1988)**, Advocate, **Munger** a notary under the said Act who will act as such, in **Munger** district for the district of **Munger** for the next five years.

(File no. -A/Not-163/2025/7620/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

14 अक्टूबर 2025

एस०ओ० 492, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री चन्दन राज, (नामांकन सं०-1247/2011), अधिवक्ता, समस्तीपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में समस्तीपुर जिला के लिए समस्तीपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-239/2025/6667/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

14 अक्टूबर 2025

एसओ 492, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-239/2025/6667/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 14th October 2025

S.O. 492 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Chandan Raj, (Enrolment No.- 1247/2011)**, Advocate, **Samastipur** a notary under the said Act who will act as such, in **Samastipur** district for the district of **Samastipur** for the next five years.

(File no. -A/Not-239/2025/6667/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

13 नवम्बर 2025

एसओ 493, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्री सरोज कुमार वर्मा, (नामांकन सं०-1587/2009)**, अधिवक्ता, **गयाजी** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **गयाजी** जिला के लिए **गयाजी** जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-242/2025/7281/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

13 नवम्बर 2025

एसओ 493, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-242/2025/7281/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 13th November 2025

S.O. 493 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time)

time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Saroj Kumar Verma, (Enrolment No.- 1587/2009)**, Advocate, Gayaji a notary under the said Act who will act as such, in Gayaji district for the district of Gayaji for the next five years.

(File no. -A/Not-242/2025/7281/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

13 नवम्बर 2025

एसओ 494, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्री देवनंदन प्रसाद यादव, (नामांकन सं०-6196/1996)**, अधिवक्ता, गयाजी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में गयाजी जिला के लिए गयाजी जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-247/2025/7319/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

13 नवम्बर 2025

एसओ 494, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-247/2025/7319/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 13th November 2025

S.O. 494 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Deo Nandan Prasad Yadav, (Enrolment No.-6196/1996)**, Advocate, Gayaji a notary under the said Act who will act as such, in Gayaji district for the district of Gayaji for the next five years.

(File no. -A/Not-247/2025/7319/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

13 नवम्बर 2025

एसओ 495, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप

नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अजय कुमार वर्मा, (नामांकन सं०-107/2003), अधिवक्ता, सुपौल को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में सुपौल जिला के लिए सुपौल जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-257/2025/7274/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

13 नवम्बर 2025

एस०ओ० 495, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-257/2025/7274/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 13th November 2025

S.O. 495 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ajay Kumar Verma, (Enrolment No.- 107/2003), Advocate, Supaul a notary under the said Act who will act as such, in Supaul district for the district of Supaul for the next five years.

(File no. -A/Not-257/2025/7274/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

13 नवम्बर 2025

एस०ओ० 496, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राम कृष्ण प्रसाद, (नामांकन सं०-6086/1995), अधिवक्ता, नवादा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में नवादा जिला के लिए नवादा जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-259/2025/7320/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

13 नवम्बर 2025

एसओ 496, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-259/2025/7320/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 13th November 2025

S.O. 496 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Ram Krishna Prasad, (Enrolment No.- 6086/1995), Advocate, Nawada** a notary under the said Act who will act as such, in **Nawada** district for the district of **Nawada** for the next five years.

(File no. -A/Not-259/2025/7320/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

20 नवम्बर 2025

एसओ 497, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्री केहर सिंह, (नामांकन सं०-203/2010), अधिवक्ता, नवादा** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **नवादा** जिला के लिए **नवादा** जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-264/2025/7603/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

20 नवम्बर 2025

एसओ 497, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-264/2025/7603/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 20th November 2025

S.O. 497 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time)

time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Kehar Singh, (Enrolment No.- 203/2010)**, Advocate, **Nawada** a notary under the said Act who will act as such, in **Nawada** district for the district of **Nawada** for the next five years.

(File no. -A/Not-264/2025/7603/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

13 नवम्बर 2025

एस0ओ0 498, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्री संजय कुमार, (नामांकन सं0-1539/2006)**, अधिवक्ता, **औरंगाबाद** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **औरंगाबाद** जिला के लिए **औरंगाबाद** जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-270/2025/7280/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

13 नवम्बर 2025

एस0ओ0 498, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-270/2025/7280/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 13th November 2025

S.O. 498 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Sanjay Kumar, (Enrolment No.- 1539/2006)**, Advocate, **Aurangabad** a notary under the said Act who will act as such, in **Aurangabad** district for the district of **Aurangabad** for the next five years.

(File no. -A/Not-270/2025/7280/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

13 नवम्बर 2025

एस0ओ0 499, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप

नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री **बिनोद कुमार**, (नामांकन सं०-BR/6266/1999) अधिवक्ता, **मुंगेर** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **मुंगेर** जिला के लिए **मुंगेर** जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-340/2025/7304/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

13 नवम्बर 2025

एस०ओ० 499, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-340/2025/7304/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 13th November 2025

S.O. 499 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Binod Kumar**, (Enrolment No.- BR/6266/1999) Advocate Munger a notary under the said Act who will act as such, in Munger district for the district of Munger for the next five years.

(File no. -A/Not-340/2025/7304/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

13 नवम्बर 2025

एस०ओ० 500, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री **सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा**, (नामांकन सं०-BR/1169/2001) अधिवक्ता, **मुंगेर** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **मुंगेर** जिला के लिए **मुंगेर** जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-341/2025/7306/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

13 नवम्बर 2025

एसओ 500, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-341/2025/7306/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 13th November 2025

S.O. 500 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Surendra Prasad Sharma, (Enrolment No.- BR/1169/2001)** Advocate Munger a notary under the said Act who will act as such, in Munger district for the district of Munger for the next five years.

(File no. -A/Not-341/2025/7306/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

13 नवम्बर 2025

एसओ 501, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्रीमती मंजुला कुमारी, (नामांकन सं०-BR/1410/2016)** अधिवक्ता, **बेगूसराय** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **बेगूसराय** जिला के लिए **बेगूसराय** जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-342/2025/7308/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

13 नवम्बर 2025

एसओ 501, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-342/2025/7308/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 13th November 2025

S.O. 501 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time)

time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Smt. Manjula Kumari, (Enrolment No.- BR/1410/2016)** Advocate, **Begusarai** a notary under the said Act who will act as such, in **Begusarai** district for the district of **Begusarai** for the next five years.

(File no. -A/Not-342/2025/7308/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

13 नवम्बर 2025

एसओ 502, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री **दारा राय, (नामांकन सं०-BR/2552/2007)** अधिवक्ता, **भागलपुर** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **भागलपुर** जिला के लिए **भागलपुर** जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-347/2025/7307/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

13 नवम्बर 2025

एसओ 502, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-347/2025/7307/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 13th November 2025

S.O. 502 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Dara Roy, (Enrolment No.- BR/2552/2007)** Advocate, **Bhagalpur** a notary under the said Act who will act as such, in **Bhagalpur** district for the district of **Bhagalpur** for the next five years.

(File no. -A/Not-347/2025/7307/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

13 नवम्बर 2025

एसओ 503, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप

नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री जितेन्द्र नाथ झा, (नामांकन सं०-1130/1995), अधिवक्ता, कटिहार को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में कटिहार जिला के लिए कटिहार जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-349/2025/7279/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

13 नवम्बर 2025

एस०ओ० 503, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-349/2025/7279/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 13th November 2025

S.O. 503 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Jitendra Nath Jha, (Enrolment No.- 1130/1995), Advocate, Katihar a notary under the said Act who will act as such, in Katihar district for the district of Katihar for the next five years.

(File no. -A/Not-349/2025/7279/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

17 नवम्बर 2025

एस०ओ० 504, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री दीपक कुमार अम्बष्ट, (नामांकन सं०-8236/1999), अधिवक्ता, समस्तीपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में समस्तीपुर जिला के लिए समस्तीपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-353/2025/7394/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

17 नवम्बर 2025

एसओ 504, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-353/2025/7394/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 17th November 2025

S.O. 504 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Deepak Kumar Ambastha, (Enrolment No.- 8236/1999)**, Advocate, **Samastipur** a notary under the said Act who will act as such, in **Samastipur** district for the district of **Samastipur** for the next five years.

(File no. -A/Not-353/2025/7394/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

26 नवम्बर 2025

एसओ 505, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, (नामांकन सं०-3261/2006)**, अधिवक्ता, **समस्तीपुर** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **समस्तीपुर** जिला के लिए **समस्तीपुर** जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-355/2025/7825/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एसओ 505, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-355/2025/7825/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 505 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time)

time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Satyendra Narayan Singh, (Enrolment No.- 3261/2006)**, Advocate, **Samastipur** a notary under the said Act who will act as such, in **Samastipur** district for the district of **Samastipur** for the next five years.

(File no. -A/Not-355/2025/7825/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 506, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्री केदार प्रसाद, (नामांकन सं0-9542/1996)**, अधिवक्ता, **गयाजी** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **गयाजी** जिला के लिए **गयाजी** जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-358/2025/7399/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 506, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-358/2025/7399/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 17th November 2025

S.O. 506 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Kedar Prasad, (Enrolment No.- 9542/1996)**, Advocate, **Gayaji** a notary under the said Act who will act as such, in **Gayaji** district for the district of **Gayaji** for the next five years.

(File no. -A/Not-358/2025/7399/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 507, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप

नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री चन्देश्वर प्रसाद सिन्हा, (नामांकन सं०-1370/1990), अधिवक्ता, औरंगाबाद को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में औरंगाबाद जिला के लिए औरंगाबाद जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-359/2025/7806/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एस०ओ० 507, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-359/2025/7806/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 507 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Chandeshwar Prasad Sinha, (Enrolment No.- 1370/1990), Advocate, Aurangabad** a notary under the said Act who will act as such, in **Aurangabad** district for the district of **Aurangabad** for the next five years.

(File no. -A/Not-359/2025/7806/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

28 नवम्बर 2025

एस०ओ० 508, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री धर्मेन्द्र सिंह, (नामांकन सं०-2277/1997), अधिवक्ता, औरंगाबाद को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में औरंगाबाद जिला के लिए औरंगाबाद जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-360/2025/7872/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

28 नवम्बर 2025

एसओ 508, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-360/2025/7872/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 28th November 2025

S.O. 508 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Dharmendra Singh, (Enrolment No.- 2277/1997)**, Advocate, **Aurangabad** a notary under the said Act who will act as such, in **Aurangabad** district for the district of **Aurangabad** for the next five years.

(File no. -A/Not-360/2025/7872/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

26 नवम्बर 2025

एसओ 509, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्री विजय कुमार शर्मा, (नामांकन सं०-173/1993)**, अधिवक्ता, **औरंगाबाद** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **औरंगाबाद** जिला के लिए **औरंगाबाद** जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-361/2025/7809/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एसओ 509, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-361/2025/7809/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 509 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time)

time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Vijay Kumar Sharma, (Enrolment No.-173/1993)**, Advocate, **Aurangabad** a notary under the said Act who will act as such, in **Aurangabad** district for the district of **Aurangabad** for the next five years.

(File no. -A/Not-361/2025/7809/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

17 नवम्बर 2025

एसओ 510, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री **अरूण कुमार मंडल, (नामांकन सं०-1291/2008)**, अधिवक्ता, **औरंगाबाद** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **औरंगाबाद** जिला के लिए **औरंगाबाद** जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-362/2025/7393/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

17 नवम्बर 2025

एसओ 510, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-362/2025/7393/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 17th November 2025

S.O. 510 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Arun Kumar Mandal, (Enrolment No.- 1291/2008)**, Advocate, **Aurangabad** a notary under the said Act who will act as such, in **Aurangabad** district for the district of **Aurangabad** for the next five years.

(File no. -A/Not-362/2025/7393/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

26 नवम्बर 2025

एसओ 511, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप

नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रणधीर कुमार सिंह, (नामांकन सं०-BR/884/2013), अधिवक्ता, औरंगाबाद को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में औरंगाबाद जिला के लिए औरंगाबाद जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-363/2025/7793/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एस०ओ० 511, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-363/2025/7793/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 511 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Randhir Kumar Singh, (Enrolment No.- BR/884/2013)**, Advocate, **Aurangabad** a notary under the said Act who will act as such, in **Aurangabad** district for the district of **Aurangabad** for the next five years.

(File no. -A/Not-363/2025/7793/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

26 नवम्बर 2025

एस०ओ० 512, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, (नामांकन सं०-323/1993), अधिवक्ता, औरंगाबाद को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में औरंगाबाद जिला के लिए औरंगाबाद जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-364/2025/7786/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एसओ 512, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-364/2025/7786/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 512 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Surendra Kumar Singh, (Enrolment No.-323/1993)**, Advocate, **Aurangabad** a notary under the said Act who will act as such, in **Aurangabad** district for the district of **Aurangabad** for the next five years.

(File no. -A/Not-364/2025/7786/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

17 नवम्बर 2025

एसओ 513, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्री बीरेन्द्र कुमार, (नामांकन सं०-2721/2005)**, अधिवक्ता, **औरंगाबाद** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **औरंगाबाद** जिला के लिए **औरंगाबाद** जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-365/2025/7397/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

17 नवम्बर 2025

एसओ 513, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-365/2025/7397/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 17th November 2025

S.O. 513 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time)

time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Birendra Kumar, (Enrolment No.- 2721/2005)**, Advocate, **Aurangabad** a notary under the said Act who will act as such, in **Aurangabad** district for the district of **Aurangabad** for the next five years.

(File no. -A/Not-365/2025/7397/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 514, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री तपसी सिंह, (नामांकन सं0-2544/2007), अधिवक्ता, औरंगाबाद को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में औरंगाबाद जिला के लिए औरंगाबाद जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-366/2025/7395/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 514, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-366/2025/7395/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 17th November 2025

S.O. 514 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Tapsi Singh, (Enrolment No.- 2544/2007)**, Advocate, **Aurangabad** a notary under the said Act who will act as such, in **Aurangabad** district for the district of **Aurangabad** for the next five years.

(File no. -A/Not-366/2025/7395/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 515, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप

नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री विभु ज्योति, (नामांकन सं०-2712/2010), अधिवक्ता, सुपौल को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में सुपौल जिला के लिए सुपौल जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-368/2025/7392/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

17 नवम्बर 2025

एस०ओ० 515, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-368/2025/7392/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 17th November 2025

S.O. 515 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Bibhu Jyoti, (Enrolment No.- 2712/2010), Advocate, Supaul a notary under the said Act who will act as such, in Supaul district for the district of Supaul for the next five years.

(File no. -A/Not-368/2025/7392/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

26 नवम्बर 2025

एस०ओ० 516, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सूर्य कान्त झा, (नामांकन सं०-1504/2005), अधिवक्ता, पूर्णियाँ को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में पूर्णियाँ जिला के लिए पूर्णियाँ जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-371/2025/7818/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एसओ 516, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-371/2025/7818/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 516 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Surya Kant jha, (Enrolment No.- 1504/2005)**, Advocate, **Purnea** a notary under the said Act who will act as such, in **Purnea** district for the district of **Purnea** for the next five years.

(File no. -A/Not-371/2025/7818/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

28 नवम्बर 2025

एसओ 517, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्री मनोज कुमार झा (नामांकन सं०-1335/2006)**, अधिवक्ता, **पूर्णियाँ** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **पूर्णियाँ** जिला के लिए **पूर्णियाँ** जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-372/2025/7874/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

28 नवम्बर 2025

एसओ 517, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-372/2025/7874/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 28th November 2025

S.O. 517 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time)

time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Manoj Kumar Jha, (Enrolment No.- 1335/2006)**, Advocate, **Purnea** a notary under the said Act who will act as such, in **Purnea** district for the district of **Purnea** for the next five years.

(File no. -A/Not-372/2025/7874/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

28 नवम्बर 2025

एस0ओ0 518, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्री सिपक कुमार सिंह, (नामांकन सं0-775/2012)**, अधिवक्ता, **पूर्णियाँ** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **पूर्णियाँ** जिला के लिए **पूर्णियाँ** जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-373/2025/7876/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

28 नवम्बर 2025

एस0ओ0 518, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-373/2025/7876/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 28th November 2025

S.O. 518 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Sipak Kumar Singh, (Enrolment No.- 775/2012)**, Advocate, **Purnea** a notary under the said Act who will act as such, in **Purnea** district for the district of **Purnea** for the next five years.

(File no. -A/Not-373/2025/7876/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

13 नवम्बर 2025

एस0ओ0 519, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप

नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री संजय कुमार वर्मा, (नामांकन सं०-2440/1999), अधिवक्ता, पूर्णियाँ को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में पूर्णियाँ जिला के लिए पूर्णियाँ जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-374/2025/7315/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

13 नवम्बर 2025

एस०ओ० 519, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-374/2025/7315/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 13th November 2025

S.O. 519 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar Verma, (Enrolment No.- 2440/1999), Advocate, Purnea a notary under the said Act who will act as such, in Purnea district for the district of Purnea for the next five years.

(File no. -A/Not-374/2025/7315/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

26 नवम्बर 2025

एस०ओ० 520, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री विश्वबन्धू वर्मा, (नामांकन सं०-872/2007), अधिवक्ता, पूर्णियाँ को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में पूर्णियाँ जिला के लिए पूर्णियाँ जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-375/2025/7811/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एसओ 520, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं सं-ए/नोट-375/2025/7811/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 520 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Bishwabandhu Verma, (Enrolment No.- 872/2007)**, Advocate, **Purnea** a notary under the said Act who will act as such, in **Purnea** district for the district of **Purnea** for the next five years.

(File no. -A/Not-375/2025/7811/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

28 नवम्बर 2025

एसओ 521, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्री राकेश कुमार, (नामांकन सं0-8549/1996)**, अधिवक्ता, **पूर्णियाँ** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **पूर्णियाँ** जिला के लिए **पूर्णियाँ** जिला में कार्य करेंगे।

(सं सं-ए/नोट-377/2025/7873/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

28 नवम्बर 2025

एसओ 521, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं सं-ए/नोट-377/2025/7873/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 28th November 2025

S.O. 521 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time)

time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Rakesh Kumar, (Enrolment No.- 8549/1996), Advocate, Purnea** a notary under the said Act who will act as such, in **Purnea** district for the district of **Purnea** for the next five years.

(File no. -A/Not-377/2025/7873/J)

By order of the Governor of Bihar,
**Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)**

18 नवम्बर 2025

एसओ 522, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्री अनिल कुमार दास, (नामांकन सं०-668/1996), अधिवक्ता, पूर्णियाँ** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **पूर्णियाँ** जिला के लिए **पूर्णियाँ** जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-378/2025/7445/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
**नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)**

18 नवम्बर 2025

एसओ 522, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-378/2025/7445/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
**नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)**

The 18th November 2025

S.O. 522 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Anil Kumar Das, (Enrolment No.- 668/1996), Advocate, Purnea** a notary under the said Act who will act as such, in **Purnea** district for the district of **Purnea** for the next five years.

(File no. -A/Not-378/2025/7445/J)

By order of the Governor of Bihar,
**Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)**

17 नवम्बर 2025

एसओ 523, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप

नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री कैलाश प्रसाद यादव, (नामांकन सं०-935/2003), अधिवक्ता, नवादा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में नवादा जिला के लिए नवादा जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-379/2025/7391/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

17 नवम्बर 2025

एस०ओ० 523, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-379/2025/7391/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 17th November 2025

S.O. 523 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Kailash Prasad Yadav, (Enrolment No.- 935/2003)**, Advocate, **Nawada** a notary under the said Act who will act as such, in **Nawada** district for the district of **Nawada** for the next five years.

(File no. -A/Not-379/2025/7391/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

28 नवम्बर 2025

एस०ओ० 524, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अशोक पासवान, (नामांकन सं०-1371/1999), अधिवक्ता, नवादा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में नवादा जिला के लिए नवादा जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-380/2025/7868/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

28 नवम्बर 2025

एसओओ 524, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-380/2025/7868/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 28th November 2025

S.O. 524 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Ashok Paswan, (Enrolment No.- 1371/1999)**, Advocate, **Nawada** a notary under the said Act who will act as such, in **Nawada** district for the district of **Nawada** for the next five years.

(File no. -A/Not-380/2025/7868/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

28 नवम्बर 2025

एसओओ 525, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री **बिनोद कुमार सिन्हा, (नामांकन सं०-925/2003)**, अधिवक्ता, **नवादा** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **नवादा** जिला के लिए **नवादा** जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-381/2025/7866/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

28 नवम्बर 2025

एसओओ 525, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-381/2025/7866/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 28th November 2025

S.O. 525 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time)

time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Binod Kumar Sinha, (Enrolment No.- 925/2003)**, Advocate, **Nawada** a notary under the said Act who will act as such, in **Nawada** district for the district of **Nawada** for the next five years.

(File no. -A/Not-381/2025/7866/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

26 नवम्बर 2025

एसओ 526, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्री दिनेश प्रसाद, (नामांकन सं०-2898/1999)**, अधिवक्ता, **नवादा** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **नवादा** जिला के लिए **नवादा** जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-382/2025/7814/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एसओ 526, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-382/2025/7814/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 526 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Dinesh Prasad, (Enrolment No.- 2898/1999)**, Advocate, **Nawada** a notary under the said Act who will act as such, in **Nawada** district for the district of **Nawada** for the next five years.

(File no. -A/Not-382/2025/7814/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

17 नवम्बर 2025

एसओ 527, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप

नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रमोद कुमार, (नामांकन सं०-332/2005), अधिवक्ता, नवादा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में नवादा जिला के लिए नवादा जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-383/2025/7398/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

17 नवम्बर 2025

एस०ओ० 527, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-383/2025/7398/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 17th November 2025

S.O. 527 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Pramod Kumar, (Enrolment No.- 332/2005)**, Advocate, **Nawada** a notary under the said Act who will act as such, in **Nawada** district for the district of **Nawada** for the next five years.

(File no. -A/Not-383/2025/7398/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

17 नवम्बर 2025

एस०ओ० 528, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री दिलीप कुमार सिन्हा, (नामांकन सं०-1768/1997), अधिवक्ता, नवादा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में नवादा जिला के लिए नवादा जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-384/2025/7396/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

17 नवम्बर 2025

एसओ 528, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-384/2025/7396/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 17th November 2025

S.O. 528 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Dilip Kumar Sinha, (Enrolment No.- 1768/1997)**, Advocate, **Nawada** a notary under the said Act who will act as such, in **Nawada** district for the district of **Nawada** for the next five years.

(File no. -A/Not-384/2025/7396/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

28 नवम्बर 2025

एसओ 529, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री धर्मेन्द्र कुमार त्यागी, (नामांकन सं०-1985/1999), अधिवक्ता, नवादा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में नवादा जिला के लिए नवादा जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-385/2025/7869/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

28 नवम्बर 2025

एसओ 529, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-385/2025/7869/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 28th November 2025

S.O. 529 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time)

time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Dharmendra Kumar Tyagi, (Enrolment No.- 1985/1999)**, Advocate, **Nawada** a notary under the said Act who will act as such, in **Nawada** district for the district of **Nawada** for the next five years.

(File no. -A/Not-385/2025/7869/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

18 नवम्बर 2025

एस0ओ0 530, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्री बिनोद कुमार मिश्र, (नामांकन सं0-91/1997)**, अधिवक्ता, **सारण** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **सारण** जिला के लिए **सारण** जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-386/2025/7447/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

18 नवम्बर 2025

एस0ओ0 530, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-386/2025/7447/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 18th November 2025

S.O. 530 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Binod Kumar Mishra, (Enrolment No.- 91/1997)**, Advocate, **Saran** a notary under the said Act who will act as such, in **Saran** district for the district of **Saran** for the next five years.

(File no. -A/Not-386/2025/7447/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 531, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप

नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री संजय कुमार, (नामांकन सं०-1721/2004), अधिवक्ता, सारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में सारण जिला के लिए सारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-387/2025/7810/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एस०ओ० 531, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-387/2025/7810/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 531 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar, (Enrolment No.- 1721/2004), Advocate, Saran a notary under the said Act who will act as such, in Saran district for the district of Saran for the next five years.

(File no. -A/Not-387/2025/7810/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

28 नवम्बर 2025

एस०ओ० 532, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार सुश्री संगीता कुमारी, (नामांकन सं०-1087/2009), अधिवक्ता, सारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में सारण जिला के लिए सारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-388/2025/7871/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

28 नवम्बर 2025

एसओ 532, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-388/2025/7871/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 28th November 2025

S.O. 532 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Miss Sangita Kumari, (Enrolment No.- 1087/2009)**, Advocate, Saran a notary under the said Act who will act as such, in Saran district for the district of Saran for the next five years.

(File no. -A/Not-388/2025/7871/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

28 नवम्बर 2025

एसओ 533, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रंजय कुमार दूबे, (नामांकन सं०-1052/1999), अधिवक्ता, सारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में सारण जिला के लिए सारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-389/2025/7875/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

28 नवम्बर 2025

एसओ 533, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-389/2025/7875/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 28th November 2025

S.O. 533 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time)

time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Ranjay Kumar Dubey, (Enrolment No.- 1052/1999)**, Advocate, **Saran** a notary under the said Act who will act as such, in **Saran** district for the district of **Saran** for the next five years.

(File no. -A/Not-389/2025/7875/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 534, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्री सच्चिदानन्द शर्मा, (नामांकन सं0-3775/1996)**, अधिवक्ता, **जहानाबाद** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **जहानाबाद** जिला के लिए **जहानाबाद** जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-391/2025/7783/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 534, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-391/2025/7783/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 534 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Sachidanand Sharma, (Enrolment No.- 3775/1996)**, Advocate, **Jehanabad** a notary under the said Act who will act as such, in **Jehanabad** district for the district of **Jehanabad** for the next five years.

(File no. -A/Not-391/2025/7783/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 535, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप

नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रवि शंकर, (नामांकन सं०-2235/2012), अधिवक्ता, जहानाबाद को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में जहानाबाद जिला के लिए जहानाबाद जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-392/2025/7784/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एस०ओ० 535, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-392/2025/7784/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 535 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ravi Shankar, (Enrolment No.- 2235/2012), Advocate, Jehanabad a notary under the said Act who will act as such, in Jehanabad district for the district of Jehanabad for the next five years.

(File no. -A/Not-392/2025/7784/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

26 नवम्बर 2025

एस०ओ० 536, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रकाश कुमार, (नामांकन सं०-3765/1995), अधिवक्ता, जहानाबाद को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में जहानाबाद जिला के लिए जहानाबाद जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-393/2025/7785/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एसओओ 536, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-393/2025/7785/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 536 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Prakash Kumar, (Enrolment No.- 3765/1995), Advocate, Jehanabad** a notary under the said Act who will act as such, in **Jehanabad** district for the district of **Jehanabad** for the next five years.

(File no. -A/Not-393/2025/7785/J)

By order of the Governor of Bihar,
**Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.**

(Competent Authority)

26 नवम्बर 2025

एसओओ 537, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, (नामांकन सं०-BR/636/2013), अधिवक्ता, जहानाबाद** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **जहानाबाद** जिला के लिए **जहानाबाद** जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-394/2025/7819/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एसओओ 537, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-394/2025/7819/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 537 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to

time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Om Prakash Shrivastava, (Enrolment No.- BR/636/2013)**, Advocate, **Jehanabad** a notary under the said Act who will act as such, in **Jehanabad** district for the district of **Jehanabad** for the next five years.

(File no. -A/Not-394/2025/7819/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

26 नवम्बर 2025

एसओओ 538, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्री कमलेश कुमार सिंह, (नामांकन सं०-1104/2010)**, अधिवक्ता, **गयाजी** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **गयाजी** जिला के लिए **गयाजी** जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-407/2025/7805/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एसओओ 538, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-407/2025/7805/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 538 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Kamlesh Kumar Singh, (Enrolment No.- 1104/2010)**, Advocate, **Gayaji** a notary under the said Act who will act as such, in **Gayaji** district for the district of **Gayaji** for the next five years.

(File no. -A/Not-407/2025/7805/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

26 नवम्बर 2025

एसओओ 539, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप

नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री जयकृष्ण कुमार, (नामांकन सं०-1748/2011), अधिवक्ता, मधेपुरा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में मधेपुरा जिला के लिए मधेपुरा जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-408/2025/7824/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एस०ओ० 539, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-408/2025/7824/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 539 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Jaykrishna Kumar, (Enrolment No.- 1748/2011), Advocate, Madhepura a notary under the said Act who will act as such, in Madhepura district for the district of Madhepura for the next five years.

(File no. -A/Not-408/2025/7824/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

28 नवम्बर 2025

एस०ओ० 540, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मिठन कुमार, (नामांकन सं०-BR/1565/2016), अधिवक्ता, मधेपुरा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में मधेपुरा जिला के लिए मधेपुरा जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-409/2025/7865/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

28 नवम्बर 2025

एस0ओ0 540, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-409/2025/7865/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 28th November 2025

S.O. 540 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Mithan Kumar, (Enrolment No.- BR/1565/2016)**, Advocate, **Madhepura** a notary under the said Act who will act as such, in **Madhepura** district for the district of **Madhepura** for the next five years.

(File no. -A/Not-409/2025/7865/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 541, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री **सिकन्दर पोद्दार, (नामांकन सं0-69/2005)**, अधिवक्ता, **मधेपुरा** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **मधेपुरा** जिला के लिए **मधेपुरा** जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-410/2025/7789/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 541, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-410/2025/7789/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 541 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time)

time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Sikandar Poddar, (Enrolment No.- 69/2005)**, Advocate, **Madhepura** a notary under the said Act who will act as such, in **Madhepura** district for the district of **Madhepura** for the next five years.

(File no. -A/Not-410/2025/7789/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 542, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्री अशोक कुमार मंडल, (नामांकन सं0-2581/2001)**, अधिवक्ता, **मधेपुरा** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **मधेपुरा** जिला के लिए **मधेपुरा** जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-411/2025/7808/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 542, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-411/2025/7808/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 542 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Ashok Kumar Mandal, (Enrolment No.- 2581/2001)**, Advocate, **Madhepura** a notary under the said Act who will act as such, in **Madhepura** district for the district of **Madhepura** for the next five years.

(File no. -A/Not-411/2025/7808/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 543, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप

नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री उदय कुमार रंजन, (नामांकन सं०-1187/2009), अधिवक्ता, जहानाबाद को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में जहानाबाद जिला के लिए जहानाबाद जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-412/2025/7782/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एस०ओ० 543, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-412/2025/7782/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 543 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Uday Kumar Ranjan, (Enrolment No.- 1187/2009), Advocate, Jehanabad a notary under the said Act who will act as such, in Jehanabad district for the district of Jehanabad for the next five years.

(File no. -A/Not-412/2025/7782/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

26 नवम्बर 2025

एस०ओ० 544, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री संजय कुमार, (नामांकन सं०-435/2008), अधिवक्ता, जहानाबाद को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में जहानाबाद जिला के लिए जहानाबाद जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-413/2025/7781/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एसओ 544, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-413/2025/7781/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 544 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Sanjay Kumar, (Enrolment No.- 435/2008)**, Advocate, **Jehanabad** a notary under the said Act who will act as such, in **Jehanabad** district for the district of **Jehanabad** for the next five years.

(File no. -A/Not-413/2025/7781/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

26 नवम्बर 2025

एसओ 545, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्री गोविन्द दास, (नामांकन सं०-4927/1995)**, अधिवक्ता, **अररिया** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **अररिया** जिला के लिए **अररिया** जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-416/2025/7823/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एसओ 545, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-416/2025/7823/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 545 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time)

time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Govind Das, (Enrolment No.- 4927/1995)**, Advocate, **Araria** a notary under the said Act who will act as such, in **Araria** district for the district of **Araria** for the next five years.

(File no. -A/Not-416/2025/7823/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

19 नवम्बर 2025

एस0ओ0 546, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्री अभय सिंह, (नामांकन सं0-12/2007)**, अधिवक्ता, **अररिया** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **अररिया** जिला के लिए **अररिया** जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-418/2025/7524/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

19 नवम्बर 2025

एस0ओ0 546, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-418/2025/7524/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 19th November 2025

S.O. 546 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Abhay Singh, (Enrolment No.- 12/2007)**, Advocate, **Araria** a notary under the said Act who will act as such, in **Araria** district for the district of **Araria** for the next five years.

(File no. -A/Not-418/2025/7524/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

19 नवम्बर 2025

एस0ओ0 547, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप

नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मो० परवेज आलम, (नामांकन सं०-909/2010), अधिवक्ता, अररिया को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में अररिया जिला के लिए अररिया जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-419/2025/7538/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

19 नवम्बर 2025

एस०ओ० 547, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-419/2025/7538/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 19th November 2025

S.O. 547 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Md. Perwez Alam, (Enrolment No.- 909/2010), Advocate, Araria a notary under the said Act who will act as such, in Araria district for the district of Araria for the next five years.

(File no. -A/Not-419/2025/7538/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

26 नवम्बर 2025

एस०ओ० 548, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मो० सलमान रागिब, (नामांकन सं०-4295/1999), अधिवक्ता, अररिया को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में अररिया जिला के लिए अररिया जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-420/2025/7822/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एसओ 548, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-420/2025/7822/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 548 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Md. Salman Raghieb, (Enrolment No.- 4295/1999)**, Advocate, **Araria** a notary under the said Act who will act as such, in **Araria** district for the district of **Araria** for the next five years.

(File no. -A/Not-420/2025/7822/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

26 नवम्बर 2025

एसओ 549, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री **दुर्बल चन्द्र मेहता, (नामांकन सं०-1529/2011)**, अधिवक्ता, **अररिया** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **अररिया** जिला के लिए **अररिया** जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-421/2025/7821/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एसओ 549, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-421/2025/7821/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 549 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time)

time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Durbal Chandra Mehta, (Enrolment No.- 1529/2011)**, Advocate, **Araria** a notary under the said Act who will act as such, in **Araria** district for the district of **Araria** for the next five years.

(File no. -A/Not-421/2025/7821/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

28 नवम्बर 2025

एस0ओ0 550, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री **अजीत कुमार, (नामांकन सं0-BR/1497/2014)**, अधिवक्ता, **औरंगाबाद** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **औरंगाबाद** जिला के लिए **औरंगाबाद** जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-422/2025/7864/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

28 नवम्बर 2025

एस0ओ0 550, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-422/2025/7864/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 28th November 2025

S.O. 550 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Ajeet Kumar, (Enrolment No.- BR/1497/2014)**, Advocate, **Aurangabad** a notary under the said Act who will act as such, in **Aurangabad** district for the district of **Aurangabad** for the next five years.

(File no. -A/Not-422/2025/7864/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

28 नवम्बर 2025

एस0ओ0 551, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप

नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री पवन कुमार रंजन, (नामांकन सं०-1864/2012), अधिवक्ता, औरंगाबाद को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में औरंगाबाद जिला के लिए औरंगाबाद जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-423/2025/7870/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

28 नवम्बर 2025

एस०ओ० 551, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-423/2025/7870/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 28th November 2025

S.O. 551 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Pawan Kumar Ranjan, (Enrolment No.- 1864/2012), Advocate, Aurangabad** a notary under the said Act who will act as such, in **Aurangabad** district for the district of **Aurangabad** for the next five years.

(File no. -A/Not-423/2025/7870/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

24 नवम्बर 2025

एस०ओ० 552, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती संध्या मिश्रा भारती, (नामांकन सं०-1790/2007), अधिवक्ता, समस्तीपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में समस्तीपुर जिला के लिए समस्तीपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-424/2025/7717/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

24 नवम्बर 2025

एसओ 552, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-424/2025/7717/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 24th November 2025

S.O. 552 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Smt. Sandhya Mishra Bharti, (Enrolment No.- 1790/2007)**, Advocate, **Samastipur** a notary under the said Act who will act as such, in **Samastipur** district for the district of **Samastipur** for the next five years.

(File no. -A/Not-424/2025/7717/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

21 नवम्बर 2025

एसओ 553, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्री मनीष दीक्षित, (नामांकन सं०-1146/2010)**, अधिवक्ता, **समस्तीपुर** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **समस्तीपुर** जिला के लिए **समस्तीपुर** जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-425/2025/7612/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

21 नवम्बर 2025

एसओ 553, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-425/2025/7612/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 21st November 2025

S.O. 553 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time)

time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Manish Dixit, (Enrolment No.- 1146/2010)**, Advocate, **Samastipur** a notary under the said Act who will act as such, in **Samastipur** district for the district of **Samastipur** for the next five years.

(File no. -A/Not-425/2025/7612/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 554, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्री विकास कुमार आर्य, (नामांकन सं0-BR/692/2015)**, अधिवक्ता, **समस्तीपुर** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **समस्तीपुर** जिला के लिए **समस्तीपुर** जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-426/2025/7791/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 554, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-426/2025/7791/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 554 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Vikas Kumar Arya, (Enrolment No.- BR/692/2015)**, Advocate, **Samastipur** a notary under the said Act who will act as such, in **Samastipur** district for the district of **Samastipur** for the next five years.

(File no. -A/Not-426/2025/7791/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 555, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप

नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री शमीम अहमद, (नामांकन सं०-11078/1996), अधिवक्ता, अरवल को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में अरवल जिला के लिए अरवल जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-439/2025/7757/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एस०ओ० 555, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-439/2025/7757/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 555 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Shamim Ahmad, (Enrolment No.- 11078/1996), Advocate, Arwal a notary under the said Act who will act as such, in Arwal district for the district of Arwal for the next five years.

(File no. -A/Not-439/2025/7757/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

19 नवम्बर 2025

एस०ओ० 556, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अम्बुज कुमार, (नामांकन सं०-1434/2003), अधिवक्ता, गयाजी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में गयाजी जिला के लिए गयाजी जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-440/2025/7536/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

19 नवम्बर 2025

एसओओ 556, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-440/2025/7536/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 19th November 2025

S.O. 556 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Ambuj Kumar, (Enrolment No.- 1434/2003)**, Advocate, **Gayaji** a notary under the said Act who will act as such, in **Gayaji** district for the district of **Gayaji** for the next five years.

(File no. -A/Not-440/2025/7536/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

28 नवम्बर 2025

एसओओ 557, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री कपिल देव पाठक, (नामांकन सं०-759/1981), अधिवक्ता, गयाजी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में गयाजी जिला के लिए गयाजी जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-442/2025/7863/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

28 नवम्बर 2025

एसओओ 557, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-442/2025/7863/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 28th November 2025

S.O. 557 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time)

time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Kapil Deo Pathak, (Enrolment No.- 759/1981), Advocate, Gayaji** a notary under the said Act who will act as such, in **Gayaji** district for the district of **Gayaji** for the next five years.

(File no. -A/Not-442/2025/7863/J)

By order of the Governor of Bihar,
**Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)**

26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 558, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **श्री राज किशोर सिंह, (नामांकन सं0-2278/1994), अधिवक्ता, गयाजी** को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में **गयाजी** जिला के लिए **गयाजी** जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-443/2025/7817/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
**नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)**

26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 558, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-443/2025/7817/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
**नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)**

The 26th November 2025

S.O. 558 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint **Shri Raj Kishore Singh, (Enrolment No.- 2278/1994), Advocate, Gayaji** a notary under the said Act who will act as such, in **Gayaji** district for the district of **Gayaji** for the next five years.

(File no. -A/Not-443/2025/7817/J)

By order of the Governor of Bihar,
**Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)**

13 नवम्बर 2025

एस0ओ0 559, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप

नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अरूण कुमार, (नामांकन सं०-1266/1994), अधिवक्ता, पूर्णियाँ को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती है, जो इस रूप में पूर्णियाँ जिला के लिए पूर्णियाँ जिला में कार्य करेंगे।

(सं० सं०-ए०/नोट-444/2025/7309/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

13 नवम्बर 2025

एस०ओ० 559, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-444/2025/7309/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 13th November 2025

S.O. 559 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Arun Kumar, (Enrolment No.- 1266/1994), Advocate, Purnea a notary under the said Act who will act as such, in Purnea district for the district of Purnea for the next five years.

(File no. -A/Not-444/2025/7309/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

1 सितम्बर 2025

एस०ओ० 560, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटेरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटेरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-79/जे०, दिनांक-06.01.1995 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री शंभू शरण पाण्डेय, अधिवक्ता, जिनका नोटेरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-06.01.2026 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री शंभू शरण पाण्डेय	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बेतिया, प0 चम्पारण	06.01.1995	बी0ए0 बी0एल0	प0 चम्पारण (बेतिया) जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-01/1994/5592/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)

1 सितम्बर 2025

एस0ओ0 560, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-01/1994/5592/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)

The 1st September 2025

S.O. 560 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Shambhu Sharan Pandey** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 79/J dated 06.01.1995 to practice as notary again for the next five year from 06.01.2026

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Shambhu Sharan Pandey	Advocate-cum-Notary Civil Court West Champaran (Bettiah)	06.01.1995	B.A B.L	West Champaran (Bettiah) Distt.-	

(File no. -A/Not-01/1994/5592/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary.
(Competent Authority)

10 दिसम्बर 2025

एस0ओ0 561, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7092/जे0, दिनांक-20.12.1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री शेख सबीउल हक, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-21.12.2025 से पुनः आगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री शेख सबीउल हक	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बारसोई कटिहार	20.12.1994	बी0ए0 बी0एल0	बारसोई अनुमंडल कटिहार जिलान्तर्गत	

(सं0 सं0-ए0/नोट-13/2007/8287/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

10 दिसम्बर 2025

एस0ओ0 561, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-13/2007/8287/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 10th December 2025

S.O. 561 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Shekh Sabiul Haque**, and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7092/J dated 20.12.1994 to practice as notary again for the next five year from 21.12.2025.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Shekh Sabiul Haque	Advocate-cum-Notary Civil Court, Barsoi, Katihar	20.12.1994	B.A B.L	Barsoi, Subdivision under Katihar District	

(File no. -A/Not-42/96/8287/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

21 अप्रैल 2025

एस0ओ0 562, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-135/जे0, दिनांक-12.01.1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री शिव शंकर प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-12.05.2025 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं:-

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री शिव शंकर प्रसाद सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी, व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा	12.01.1994	बी0ए0 एल0एल0बी0	शेखपुरा जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-16/1993/2438/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

21 अप्रैल 2025

एस0ओ0 562, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-16/1993/2438/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 21st April 2025

S.O. 562 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Shiv Shankar Prasad Singh**, Advocate, whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No- 135/J, dated 12.01.1994 to practice as notary again for the next five year from 12.05.2025:-

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Shiv Shankar Prasad Singh	Advocate-cum-Notary, Civil Court, Sheikhpura	12.01.1994	B.A L.L.B	Sheikhpura District	

(File no. -A/Not-16/1993/2438/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

18 जुलाई 2025

एसओ 563, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3604/जे0, दिनांक-21.10.1995 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सविता नारायण सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-21.10.1998 से 20.10.2001 तक, दिनांक-21.10.2001 से 20.10.2006 तक, दिनांक-21.10.2006 से 20.10.2011 तक, दिनांक-21.10.2011 से 20.10.2016 तक, दिनांक-21.10.2016 से 20.10.2021 तक एवं दिनांक-21.10.2021 से अगले पाँच वर्ष तक के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं:-

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री सविता नारायण सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी, अनुमंडल न्यायालय, मढ़ौरा (सारण)	21.10.1995	एल0एल0बी0	मढ़ौरा अनुमंडल (सारण जिलान्तर्गत)	

(सं0 सं0-ए0/नोट-92/92/4472/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)

18 जुलाई 2025

एस0ओ0 563, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-92/92/4472/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव।

(सक्षम प्राधिकार)

The 18th July 2025

S.O. 563 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Sabita Narayan Singh**, Advocate, whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification **No- 3604/J**, dated **21.10.1995** to practice as notary from 21.10.1998 to 20.10.2001, from 21.10.2001 to 20.10.2006, from 21.10.2006 to 20.10.2011, from 21.10.2011 to 20.10.2016, from 21.10.2016 to 20.10.2021 and again from 21.10.2021 till next five year:-

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Sabita Narayan Singh	Advocate-cum-Notary, Sub-division Court, Marhowrah (Saran)	21.10.1995	L.L.B	Marhowrah Sub-division (Under-Saran District)	

(File no. -A/Not-92/92/4472/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary.
(Competent Authority)

27 जनवरी 2025

एस0ओ0 564, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--विधि विभागीय अधिसूचना संख्या-3963 दिनांक-26.05.2023, जिसके द्वारा श्री रंजीत कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता-सह-नोटरी, व्यवहार न्यायालय, मोतीहारी (पूर्वी चम्पारण) का नाम नोटरी पंजी से हटाया गया था, को निरस्त किया जाता है।

2. विधि विभागीय अधिसूचना सं0-2305/जे0 दिनांक-19.03.2019 यथावत प्रभावी रहेगी।

(सं0सं0-ए0/नोट-08/2001(पार्टी)/687/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

27 जनवरी 2025

एस0ओ0 564, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-08/2001(पार्ट)/687/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 27th January 2025

S.O. 564 dated the 24th December 2025--The name of Sri Ranjit Kumar Srivastava, Advocated-cum-Notary Civil Court, Motihari was removed from notary register vide Law Departmental notification no.-3963, dated-26.05.2023, is hereby cancelled .

2. Notification No.-2305/J dated-19.03.2019 of Law Department shall remain in force.

(File No.-A/Not-08/2001(Part)/687/J)

By order of the Governor of Bihar,

Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

10 दिसम्बर 2025

एस0ओ0 565, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2360/जे0, दिनांक-12.07.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-12.07.2024 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं:-

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्रीमती लक्ष्मी शर्मा	अधिवक्ता-सह-नोटरी, व्यवहार न्यायालय, कटिहार	12.07.2001	बी0ए0 एल0एल0बी0	कटिहार जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-42/1996/8288/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

10 दिसम्बर 2025

एसओओ 565, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-42/1996/8288/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 10th December 2025

S.O. 565 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Smt. Lakshmi Sharma** Advocate, whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification **No- 2360/J**, dated **12.07.2001** to practice as notary again for the next five year from **12.07.2024:-**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Smt. Lakshmi Sharma	Advocate-cum-Notary, Civil Court, Katihar	12.07.2001	B.A L.L.B	Katihar District	

(File no. -A/Not-42/1996/8288/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

5 मई 2025

एसओओ 566, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री कुमार रणविजय सिंह, नोटरी, जहानाबाद का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं०-710/जे०, दिनांक-09.03.1987 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते हैं।

(सं०सं०-ए०/ए०बी०-08/85(पार्ट-I)/2765/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

5 मई 2025

एसओ 566, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं०सं०-ए०/ए०बी०-08/85(पार्ट-I)/2765/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 5th May 2025

S.O. 566 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Shri Kumar Ranvijay Singh, Notary, Jehanabad whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 710/J, dated-09.03.1987 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/A.B-08-85(Part-I)/2765/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
 Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

5 मई 2025

एसओ 567, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, नोटरी, सुपौल, का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं०-9644/जे०, दिनांक-28.08.84 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते हैं।

(सं०सं०-ए०/ए०बी०-29/84/2764/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

5 मई 2025

एसओ 567, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं०सं०-ए०/ए०बी०-29/84/2764/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 5th May 2025

S.O. 567 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Shri Surendra Prasad Singh, Notary, Supaul whose

appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 9644/J, dated-28.08.84 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/A.B-29/84/2764/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

8 अप्रैल 2025

एस0ओ0 568, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, स्व0 अरूण कुमार महतो, नोटरी, बीरपुर, सुपौल, का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-134/जे0, दिनांक-08.01.1987 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते हैं।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-54/85/2280/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

8 अप्रैल 2025

एस0ओ0 568, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-54/85/2280/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 8th April 2025

S.O. 568 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Late Arun Kumar Mahto, Notary, Birpur, Supaul, whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 134/J, dated-08.01.1987 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/AB-54/85/2280/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

25 अगस्त 2025

एस0ओ0 569, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री हरिमूर्ति देव, नोटरी, झंझारपुर, मधुबनी का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-11883/जे0, दिनांक-29.10.1983 द्वारा की गयी थी, नोटरी

अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते हैं।

(सं०सं०-ए०/ए०बी०-151/82/5414/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

25 अगस्त 2025

एस०ओ० 569, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं०सं०-ए०/ए०बी०-151/82/5414/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 25th August 2025

S.O. 569 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Shri Hari Murti Dev, Notary, Jhanjharpur (Madhubani) whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 11883/J, dated-29.10.1983 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/AB-151/82/5414/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

18 जुलाई 2025

एस०ओ० 570, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल स्व० प्रहलाद प्रसाद शर्मा, नोटरी, कटिहार का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं०-7351/जे०, दिनांक-04.10.2012 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते हैं।

(सं०सं०-ए०/नोट-(डी)-03/2003/4470/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

18 जुलाई 2025

एस०ओ० 570, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं०सं०-ए०/नोट-(डी)-03/2003/4470/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 18th July 2025

S.O. 570 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of LatePrahlaad Prasad Sharma, Notary,Katihar whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 7351/J, dated-04.10.2012from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-(D)-03/2003/4470/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

5 नवम्बर 2025

एस0ओ0 571, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री चन्द्रभुषण, नोटरी, व्यवहार न्यायालय, पटना का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0- 6920/जे0 दिनांक-15.09.2012 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते हैं।

(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-34/2008/7110/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

5 नवम्बर 2025

एस0ओ0 571, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-34/2008/7110/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 5th November 2025

S.O. 571 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Chadra Bhushan Notary Public, Civil Court, Patna whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 6920/J dated- 15.09.2012 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not(s)-34/2008/7110/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

27 जून 2025

एस0ओ0 572, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री रणजीत कुमार वर्मा, नोटरी, खगड़िया का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-7354/जे0, दिनांक-04.10.2012 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते हैं।

(सं0सं0-ए0/नोट-07/2005/3894/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

27 जून 2025

एस0ओ0 572, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-07/2005/3894/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 27th June 2025

S.O. 572 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Shri Ranjeet Kumar Verma Notary, Khagaria whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 7354/J, dated- 04.10.12 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-07/2005/3894/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
 Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

27 जून 2025

एस0ओ0 573, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री शम्भु नाथ मिश्र, नोटरी, झंझारपुर (मधुबनी) का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-7426/जे0, दिनांक-05.10.2012 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते हैं।

(सं0सं0-ए0/नोट-10/03/3897/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

27 जून 2025

एसओ 573, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-10/03/3897/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 27th June 2025

S.O. 573 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Shri Shambhu Nath Mishra, Notary, Jhanjharpur (Madhubani) whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 7426/J, dated-05.10.2012 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-10/03/3897/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

25 मार्च 2025

एसओ 574, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, स्व0 हरेन्द्र कुमार सिंह, नोटरी, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-4305/जे0, दिनांक-01.12.2000 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते हैं।

(सं0सं0-ए0/नोट-12/96/2058/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

25 मार्च 2025

एसओ 574, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-12/96/2058/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 25th March 2025

S.O. 574 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Late Harendra Kumar Singh, Notary, Simri

Bakhtiyarpur, Saharsa, whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 4305/J, dated-01.12.2000 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-12/96/2058/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
 Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

 27 जून 2025

एस0ओ0 575, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री बबुए लाल मंडल, नोटरी, फूलपरास (मधुबनी) का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-7426/जे0, दिनांक-05.10.2012 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते हैं।

(सं0सं0-ए0/नोट-13/02/3896/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

27 जून 2025

एस0ओ0 575, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-13/02/3896/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 27th June 2025

S.O. 575 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Shri Babue Lal Mandal, Notary, Phulparas (Madhubani) whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 7426/J, dated-05.10.2012 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-13/02/3896/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
 Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

 18 जुलाई 2025

एस0ओ0 576, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल स्व0 नरेश चन्द्र यादव, नोटरी, कटिहार का नाम, जिनकी

नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं०-7351/जे०, दिनांक-04.10.2012 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते हैं।

(सं०सं०-ए०/नोट-19/2001/4471/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

18 जुलाई 2025

एस०ओ० 576, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं०सं०-ए०/नोट-19/2001/4471/जे०)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 18th July 2025

S.O. 576 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Let Naresh Chandra Yadav, Notary, Katihar whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 7351/J, dated-04.10.2012 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-19-2001/4471/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

10 दिसम्बर 2025

एस०ओ० 577, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री अवधेश बिहारी राय, नोटरी, बांका का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं०-7356/जे०, दिनांक-04.10.2012 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते हैं।

(सं०सं०-ए०/नोट-19/2004/8309/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

10 दिसम्बर 2025

एसओ 577, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-19/2004/8309/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 10th November 2025

S.O. 577 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Shri Awadesh Bihari Roy Notary Public, Banka whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 7356/J dated-04.10.2012 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-19/2004/8309/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
 Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

17 अप्रैल 2025

एसओ 578, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, स्व0 राजेन्द्र झा, नोटरी, झंझारपुर (जिला-मधुबनी) का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-3409/जे0, दिनांक-12.09.2000 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते हैं।

(सं0सं0-ए0/नोट-22/98/2425/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

17 अप्रैल 2025

एसओ 578, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-22/98/2425/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 17th April 2025

S.O. 578 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Late Rajendra Jha, Notary, Jhanjharpur (District-

Madhubani) whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 3409/J, dated-12.09.2000 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-22/98/2425/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

25 मार्च 2025

एस0ओ0 579, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, स्व0 सीताराम वर्मा, नोटरी, सहरसा, का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-4819/जे0, दिनांक-01.12.2003 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते हैं।

(सं0सं0-ए0/नोट-25/98/2057/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

25 मार्च 2025

एस0ओ0 579, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-25/98/2057/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 25th March 2025

S.O. 579 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Late Sita Ram Verma, Notary, Saharsa, whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 4819/J, dated-01.12.2003 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-25/98/2057/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

8 अप्रैल 2025

एस0ओ0 580, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री चन्द्रभूषण तिवारी, नोटरी, गोपालगंज का नाम, जिनकी

नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं०-189/जे०, दिनांक-18.01.2001 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते हैं।

(सं०सं०-ए०/नोट-26/96/2281/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

8 अप्रैल 2025

एस०ओ० 580, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं०सं०-ए०/नोट-26/96/2281/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 8th April 2025

S.O. 580 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Shri Chandra Bhushan Tiwari, Notary, Gopalganj, whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 189/J, dated-18.01.2001 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-26/96/2281/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

25 मार्च 2025

एस०ओ० 581, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री उपेन्द्र लाल श्रीवास्तव, नोटरी, सिवान का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं०-3722/जे०, दिनांक-25.08.2003 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते हैं।

(सं०सं०-ए०/नोट-28/2000/2061/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

25 मार्च 2025

एसओ 581, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं०सं०-ए०/नोट-28/2000/2061/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 25th March 2025

S.O. 581 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Shri Upendra Lal Srivastava, Notary, Siwan whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 3722/J, dated-25.08.2003 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-28/2000/2061/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

25 मार्च 2025

एसओ 582, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, स्व० सूर्यदेव तिवारी, नोटरी, हथुआ, गोपालगंज, का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं०-2142/जे०, दिनांक-31.03.93 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते हैं।

(सं०सं०-ए०/नोट-36/92/2056/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

25 मार्च 2025

एसओ 582, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं०सं०-ए०/नोट-36/92/2056/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 25th March 2025

S.O. 582 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Late Suryadeo Tiwary, Notary, Hathua, Gopalganj,

whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 2142/J, dated-31.03.93 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-36/92/2056/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

25 मार्च 2025

एस0ओ0 583, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री जगदीश प्रसाद सिन्हा, नोटरी, सिवान का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-4106/जे0, दिनांक-13.12.2001 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते हैं।

(सं0सं0-ए0/नोट-52/96/2060/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

25 मार्च 2025

एस0ओ0 583, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-52/96/2060/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)

The 25th March 2025

S.O. 583 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Shri Jagdish Prasad Sinha, Notary, Siwan, whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 4106/J, dated-13.12.2001 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-52/96/2060/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

27 जून 2025

एस0ओ0 584, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री जगदीश मंडल, नोटरी, जयनगर (मधुबनी) का नाम,

जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं०-822/जे०, दिनांक-13.03.03 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते हैं।

(सं०सं०-ए०/नोट-56/96/3895/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

27 जून 2025

एस०ओ० 584, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं०सं०-ए०/नोट-56/96/3895/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 27th June 2025

S.O. 584 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Shri Jagdish Mandal Notary, Jay Nagar (Madhubani) whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 822/J, dated-13.03.03 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-56/96/3895/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

25 मार्च 2025

एस०ओ० 585, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं०-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, स्व० मिथिलेश कुमार तिवारी, नोटरी, सिवान का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं०-3495/जे०, दिनांक-02.08.2004 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते हैं।

(सं०सं०-ए०/नोट-104/2000/2059/जे०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

25 मार्च 2025

एसओ 585, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-104/2000/2059/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 25th March 2025

S.O. 585 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Late Mithilesh Kumar Tiwari, Notary, Siwan, whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 3495/J, dated-02.08.2004 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-104/2000/2059/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

26 मई 2025

एसओ 586, दिनांक 24 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, स्व0 अमिय कुमार, नोटरी, खगड़िया का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-6711/जे0, दिनांक-23.11.1994 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते हैं।

(सं0सं0-ए0/नोट-वी0-08/2007/3317/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

26 मई 2025

एसओ 586, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-वी0-08/2007/3317/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 26th May 2025

S.O. 586 dated the 24th December 2025--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Late Amiya Kumar, Notary, Khagaria whose

appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 6711/J, dated- 23.11.1994 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-V-08/2007/3317/J)

By order of the Governor of Bihar,
Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-
Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 40—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 1254—I, Asmat Khatoon, W/o- Md Shakeel Ahmad, R/o- Almizan Nagar, Naya tola, Nohsa, P.O- Phulwari sharif, Dist. - Patna, Bihar - 801505. Do hereby solemnly affirm and declare that in my daughter's educational documents her name is mentioned as Kashiba Ahmad. But, in her birth certificate as well as in her Aadhar card her name is mentioned as Kashiba Perween. Here, both the names KASHIBA AHMAD and KASHIBA PERWEEN belong to the names of my same daughter. And, from now in her future she will be known as **KASHIBA PERWEEN** for all her legal purposes. Affidavit no. – 2132 Date: - 01/11/2025.

Asmat Khatoon.

No. 1255—I, Shruti D/o Shailendra Kumar Shrivastava, Rio L.I.G. 15/533 Hanuman Nagar, Kankarbagh, Patna -800020 Bihar do hereby solemnly affirms and declare as per aff. No. 4687 dt. 28.04.25 that my name is written in Aadhar Pan Card and educational documents as Shruti From now I will be known as Shruti Shrivastava for all porposes.

Shruti.

No. 1256—I, Kumari Anchal Kapoor, D/o Ajay Kapoor, R/o Parnpura, P.O.-Bansh Gopal, Amawan, Khanpura, Rajauli Nawada-805125 Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 18768 dt. 07.10.25 that my name is mentioned in Aadhar card as Anchal Kumari whereas in my 10th and 12th Marksheet other Educational documents as Kumari Anchal Kapoor which is correct. From now I shall be known as Kumari Anchal Kapoor for all purposes.

Kumari Anchal Kapoor.

सं० 1259—मैं, शिप्रा दास, पति-माणिक कुमार दास, पता-मो०-रुईधासा निगमपल्ली, पो०-किशनगंज, थाना-किशनगंज, जिला-किशनगंज-855107, बिहार की स्थायी निवासी हूँ। मैं शपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि मेरे आधार सह पैन कार्ड में मेरा नाम शिप्रा दास अंकित है। परंतु मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों (मैट्रिक एवं इंटर) में मेरा नाम शिप्रा अंकित है। ये दोनों नाम शिप्रा दास एवं शिप्रा एक ही व्यक्ति से संबंधित हैं, एवं अब मैं भविष्य में सभी कार्यों हेतु शिप्रा दास के नाम से ही जानी एवं पहचानी जाऊँगी। शपथ-पत्र संख्या : - 1647 दिनांक : - 25/09/ 2025.

शिप्रा दास.

No. 1260—I, **Kumari Neetu Singh**, w/o Prahlad Kumar Biswas, R/o mohalla- dumriya, P.O + P.S - kishanganj, Dist- kishanganj, pin- 855108, Bihar. Do hereby solemnly affirm and declare that in my intermediate certificates my name is mentioned as **Neetu Singh**. And in my matriculation certificates and in my Aadhar as well as in my PAN card my name is mentioned as **Kumari Neetu Singh**. Here both the names **Neetu Singh** and **Kumari Neetu Singh** belong to the same person i.e. me. And from now in my future I will be known as **KUMARI NEETU SINGH** for all legal purposes. Affidavit no. : - 1513 Date: - 19/09/2025.

Kumari Neetu.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 40—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० कारा/नि०को०(मु०क०)—09-12/2023—9150

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

16 दिसम्बर 2025

श्री सुजीत कुमार झा, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, कटिहार सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, अररिया के विरुद्ध उनके मंडल कारा, कटिहार में पदस्थापन के दौरान दिनांक—30.08.2017 को बंदी मो० मन्ना (मन्नु), पे०—लतीफ अंसारी के साथ दूसरे बंदी द्वारा की गयी मार—पीट की घटना, दिनांक— 01.09.2017 को सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने, दैनिक समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित होने एवं इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनलों में इस घटना का प्रसारण होने तथा कारा में प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी की घटना में बरती गई लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता के आरोप के लिए गठित प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक—2241 दिनांक—08.03.2021 द्वारा श्री सुजीत कुमार झा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, कटिहार सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, अररिया के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई, जिसमें आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी एवं वृत्ताधीक्षक, केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी—सह—आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पत्रांक—899 दिनांक—31.03.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री झा के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित कुल 04 आरोपों में से आरोप संख्या—02 को अंशतः प्रमाणित तथा आरोप संख्या—01, 03 एवं 04 को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम—18(3) के प्रावधान के तहत विभागीय ज्ञापांक—5909 दिनांक—26.05.2022 द्वारा श्री सुजीत कुमार झा को संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए आरोप संख्या—01, 03 एवं 04 के संबंध में संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से विभागीय समीक्षा में पाई गई असहमति के अभिलेखित बिन्दुओं तथा आरोप संख्या—02 के अंशतः प्रमाणित पाये जाने के आलोक में उनसे पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब/लिखित अभ्यावेदन की मांग की गई। तदालोक में श्री सुजीत कुमार झा द्वारा अपने पत्रांक— 2196 दिनांक—09.06.2022 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब/लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

4. श्री सुजीत कुमार झा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, कटिहार सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, अररिया से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब/लिखित अभ्यावेदन को सम्यक् विश्लेषणोपरान्त अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय—समय पर यथा संशोधित) के नियम—14(vi) के प्रावधान के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक—11271 दिनांक—09.11.2022 द्वारा श्री झा के विरुद्ध निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया गया:—

“संचयात्मक प्रभाव से चार (04) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड।”

5. उपर्युक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री सुजीत कुमार झा द्वारा पत्रांक—294 दिनांक—24.01.2023 के माध्यम से पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक—1781 दिनांक—27.02.2023 द्वारा श्री झा के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया गया।

6. उपर्युक्त अधिरोपित दण्ड एवं श्री झा के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किये जाने संबंधी उक्त आदेश के विरुद्ध श्री झा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C. No.- 4978/2023 दायर किया गया था। C.W.J.C.

No.-4978/2023 सुजीत कुमार झा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-15.09.2025 को न्यायादेश पारित किया गया, जिसका कार्यशील अंश निम्नवत् है :-

“In the present case, the disciplinary authority has mechanically differed with the findings arrived at by the Enquiry Officer, which is wholly impermissible under Rule 18(2) of the Bihar CCA Rules, 2005. Upon a close perusal of the aforesaid rule, it is clear that the Rule 18(2) requires, that if the evidence on record is sufficient for the purpose, then the disciplinary authority has to *firstly* record reasons for his disagreement and secondly arrive at his own independent tentative findings, therefore, the rule mandates that the disciplinary authority must record his reasons for disagreement with the findings arrived at by the Enquiry Officer based only on the evidence/material on record. Disciplinary Authority in mechanically disagreeing without recording reasons and without discussing any material/evidence on record has committed a grave error. Pertinently in the case at hand, from perusal of the impugned order which is annexed as Annexure-4, it appears that Disciplinary Authority, without recording any valid and cogent reasons for disagreement had proceeded to issue a second show cause notice for awarding punishment which is not permissible in the eyes of law.

In view of the violation of the Rule 18(2) of the Bihar Government (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005 and in view of the law laid down by Hon’ble Supreme Court in the case of Yoginath D. Bagde (Supra), the impugned order is not sustainable in the eyes of law.

In these circumstances, this petition is allowed. Accordingly, the Resolution dated 09.11.2022 whereby the punishment of withholding of four increments of pay with cumulative effect has been awarded is hereby quashed. The petitioner shall be entitled to all consequential benefits, including monetary benefits.”

7. C.W.J.C. No.-4978/2023 सुजीत कुमार झा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद में दिनांक- 15.09.2025 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सुजीत कुमार झा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, कटिहार सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, अररिया के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-11271 दिनांक-09.11.2022 द्वारा अधिरोपित दंड एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1781 दिनांक-27.02.2023 द्वारा संसूचित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन अस्वीकृति संबंधी आदेश को निरस्त किया जाता है। तदनुसार श्री सुजीत कुमार झा को अनुमान्य सभी परिणामी/आर्थिक लाभों का भुगतान किये जाने का आदेश दिया जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजीव जमुआर, अपर सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

सं० वन्य प्राणी-14/12(खंड-I)-20(इ०)/प०व०
पर्यावरण एवं वन विभाग

संकल्प

12 जनवरी 2015

विषय :—राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केन्द्र की स्थापना एवं इसके संचालन हेतु समिति के गठन एवं उप-नियम बनाने के संबंध में।

गांगेय डॉल्फिन के पर्यावास, आहार, प्रजनन एवं सुरक्षा आदि के संबंध में अध्ययन एवं शोध हेतु स्थापित, राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केन्द्र के कार्यों को सुचारु रूप से संचालन हेतु, राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत, माननीय मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में समिति के गठन का निर्णय लिया गया है, जो निम्नवत् है:-

(i)	माननीय मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना	अध्यक्ष
(ii)	प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना	उपाध्यक्ष
(iii)	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनिधि जो निदेशक से अन्युन हो।	सदस्य
(iv)	अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना।	सदस्य
(v)	डीन, विज्ञान संकाय, पटना विश्वविद्यालय, पटना।	सदस्य

(vi)	वित्त विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि संयुक्त सचिव से अन्युन।	सदस्य
(vii)	मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना।	सदस्य
(viii)	मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
(ix)	मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, पश्चिम बंगाल।	सदस्य
(x)	निदेशक, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण या उनके द्वारा नामित वरीय वैज्ञानिक।	सदस्य
(xi)	निदेशक, केन्द्रीय आन्तरिक मत्स्य शोध संस्थान, बैरकपूर, कोलकाता।	सदस्य
(xii)	प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना या उनके द्वारा संयुक्त सचिव के स्तर से अन्युन पदाधिकारी।	सदस्य
(xiii)	प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना या उनके द्वारा संयुक्त सचिव के स्तर से अन्युन पदाधिकारी।	सदस्य
(xiv) से (xvii)	राज्य सरकार द्वारा नामित पारिस्थिति की/वन्यप्राणी जीव विज्ञान/जन्तु विज्ञान/पर्यावरणिक विज्ञान या प्रबंधन/सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र से चार विशिष्ट व्यक्ति जिन्हें सामान्य संसाधन प्रबंधन या प्रकृतिविद तथा संरक्षणविद या वन्यजीव संरक्षण या प्रबंधन में विशेषज्ञता प्राप्त हो जिसमें कम से कम एक सदस्य महिला हो।	सदस्य
(xviii)	निदेशक, राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केन्द्र	सदस्य सचिव

राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केन्द्र के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन, अनुश्रवण कार्य संचालन, एवं प्रदत्त शक्तियों आदि के निमित्त विहित किये गये उप-नियम परिशिष्ट के रूप में संलग्न है। यह उप-नियम, राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केन्द्र उप-नियम, 2014 कहलायेंगे।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
विवेक कुमार सिंह, प्रधान सचिव।

राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केन्द्र(NDRC) उप नियम 2014

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार तथा प्रवर्तन की तिथि :-

- (क) ये उप-नियम राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केन्द्र उप नियम, 2014 कहलायेंगे एवं ये राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केन्द्र तथा उसके तहत कार्यरत सभी इकाईयों पर लागू होंगे।
- (ख) ये नियम उक्त तिथि से प्रवृत्त होंगे जिस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केन्द्र समिति के नाम से सोसाइटी निबंधन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत निबंधित होगा।

2. परिभाषायें :-

- इन उप-नियमों जबतक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षा नहीं करें—
- (क) “समिति” या “केन्द्र” या एन0डी0आर0सी0 से अभिप्रेत है राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केन्द्र जो सोसाइटी निबंधन अधिनियम के अंतर्गत निबंधित हो।
- (ख) शासी परिषद् से अभिप्रेत है इन उप-नियमों के अंतर्गत गठित शासी परिषद् जो समिति के वैसे सदस्यों तथा अन्य सदस्य से युक्त हो जैसा उप-नियम द्वारा विहित किया गया है।
- (ग) अध्यक्ष से अभिप्रेत है समिति के अध्यक्ष।
- (घ) सभापति से अभिप्रेत है शासी परिषद् के सभापति।
- (ङ.) राज्य सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार।
- (च) सदस्य सचिव से अभिप्रेत है समिति अथवा शासी परिषद् के सदस्य सचिव।
- (छ) निदेशक से अभिप्रेत है केन्द्र के निदेशक।
- (ज) सदस्य से अभिप्रेत है समिति या शासी परिषद् के सदस्य सचिव।
- (झ) वर्ष से अभिप्रेत है बिहार सरकार का वित्तीय वर्ष जबतक कि शासी परिषद् के द्वारा अन्यथा विशेषित नहीं किया जाय।

वैसे शब्द जो एक वचन में वर्णित है वे बहुवचन को भी प्रतिनिधित्व करेंगे तथा विलोम क्रम में भी लागू होगा। वैसे शब्द जो पुरुषवाचक में वर्णित है वे स्त्रीवाचक को भी प्रतिनिधित्व करेंगे तथा यह विलोम भी लागू होगा।

3. मुख्यालय :-

राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केन्द्र का मुख्यालय, पटना में स्थित होगा।

4. समिति का गठन :-

समिति निम्नलिखित सदस्यों द्वारा गठित होगी :-

(i)	माननीय मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना	अध्यक्ष
(ii)	प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना	उपाध्यक्ष
(iii)	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनिधि जो निदेशक से अन्युन हो	सदस्य
(iv)	अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना।	सदस्य
(v)	डीन, विज्ञान संकाय, पटना विश्वविद्यालय, पटना।	—वही—
(vi)	वित्त विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि संयुक्त सचिव से अन्युन।	—वही—
(vii)	मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना।	—वही—
(viii)	मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश।	—वही—
(ix)	मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, पश्चिम बंगाल।	—वही—
(x)	निदेशक, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण या उनके द्वारा नामित वरीय वैज्ञानिक।	—वही—
(xi)	निदेशक, केन्द्रीय आन्तरिक मत्स्य शोध संस्थान, बैरकपूर, कोलकाता।	—वही—
(xii)	प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना या उनके द्वारा संयुक्त सचिव के स्तर से अन्युन पदाधिकारी।	—वही—
(xiii)	प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना या उनके द्वारा संयुक्त सचिव के स्तर से अन्युन पदाधिकारी।	—वही—
(xiv) से (xvii)	राज्य सरकार द्वारा नामित पारिस्थिति की/वन्यप्राणी जीव विज्ञान/जन्तु विज्ञान/पर्यावरणिक विज्ञान या प्रबंधन/सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र से चार विशिष्ट व्यक्ति जिन्हें सामान्य संसाधन प्रबंधन या प्रकृतिविद तथा संरक्षणविद या वन्यजीव संरक्षक या प्रबंधन में विशेषज्ञता प्राप्त हो जिसमें कम से कम एक सदस्य महिला हो।	—वही—
(xviii)	निदेशक, राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केन्द्र	—वही—

5. सदस्यों की पंजी :-

समिति सभी सदस्यों की एक नामावली बनायेगी जिसमें उनका नाम, पता तथा पेशा अंकित होगा। सभी सदस्य इस पर हस्ताक्षर करेंगे। अगर समिति के कोई सदस्य अपना पता बदलता है तो वह अपने नये पता को सदस्य-सचिव को सूचित करेगा। कोई सदस्य अगर अपने पते में बदलाव को सदस्य-सचिव को सूचित नहीं करता है तो उसके नामावली में अंकित पता को उनका सही पता माना जायेगा।

6. शासी परिषद् :-

(क) शासी परिषद्, समिति का कार्यकारी अंग होगा जो उप-नियम में विहित वैसे पदाधिकारियों तथा समिति के सदस्यों द्वारा गठित होगा जो आगे समिति के नियंत्रण में उसके निदेशानुसार पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।

(ख) शासी परिषद् केन्द्र के कार्यों के प्रबंधन के लिए जिम्मेवा रहोगा। समिति की आय तथा सम्पत्ति शासी परिषद् में निहित होगा।

7. शासी परिषद् का गठन :-

शासी परिषद् में निम्नलिखित गैर पद धारक तथा नामित सदस्य होंगे :-

(i)	प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना	सभापति
(ii)	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा नामित सदस्य जो निदेशक से अन्युन हो।	सदस्य
(iii)	अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना।	—वही—
(iv)	डीन, विज्ञान संकाय, पटना विश्वविद्यालय, पटना।	—वही—
(v)	उप कुलपति, पटना विश्वविद्यालय के द्वारा नामित सदस्य।	—वही—
(vi)	वित्त विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि संयुक्त सचिव से अन्युन।	—वही—
(vii)	मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार।	—वही—
(viii)	मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश/पश्चिम बंगाल। (03 वर्षों के आवर्तन में)	—वही—
(ix)	निदेशक, पारिस्थिति की तथा पर्यावरण, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना।	—वही—
(x)	राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केन्द्र समिति के श्रेणी (xiv)- (xvii) में वर्णित तीन सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित।	—वही—
(xi)	निदेशक, राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केन्द्र।	सदस्य-सचिव

8. कार्यालय की कार्यकाल, विराम या समिति तथा शासी परिषद् की सदस्यता की समाप्ति :-

(क) समिति के अध्यक्ष तथा समिति एवं शासी परिषद् के नामित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा तथा ये पुनः नामित हो सकेंगे।

(ख) समिति या शासी परिषद् के नामित सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो सकती है अगर स्त्री/पुरुष :-

- (i) मृत्यु या
 - (ii) सदस्यता से त्याग-पत्र
 - (iii) मानसिक रूप से रूग्ण
 - (iv) नैतिक नीचता में शामिल होकर फौजदारी अपराध में दण्डित।
 - (v) केन्द्र के निदेशक तथा संकाय सदस्य को छोड़कर अगर आने केन्द्र में पूर्णकालिक पदस्थापन स्वीकार कर लिया है।
 - (vi) समिति के अध्यक्ष की स्वीकृति के बगैर समिति अथवा शासी परिषद् के पाँच लगातार बैठकों में अनुपस्थिति।
- (ग) समिति/शासी परिषद् के (गैर पदधारी सदस्यों को छोड़कर) नामित सदस्य अध्यक्ष/सभापति की संबंधित पत्र के द्वारा कार्यालय को त्याग सकते हैं। यह त्याग पत्र अध्यक्ष/सभापति के द्वारा स्वीकार की तिथि से प्रभावी होगा।
- (घ) नामित सदस्य की सदस्यता, समिति से उनके कार्यालय के पूर्ण होने पर समाप्त हो जायेगी।
- (ङ) किसी गैर पदधारक सदस्य की सदस्यता समिति/शासी परिषद् से समाप्त हो जायेगी अगर उसका वह कारण समाप्त हो जाये जिसके कारण वह समिति/शासी परिषद् का सदस्य बन सका है।
- 9. आकस्मिक रिक्ति :-**
- (क) समिति/शासी परिषद् में सदस्यता की आकस्मिक रिक्ति (गैर पदधारक को छोड़कर) पर किसी व्यक्ति को राज्य सरकार/अध्यक्ष कोई भी नामित कर सकता है तथा व्यक्ति जो नामित होगा उसकी सदस्यता उस सदस्य की शेष बची सदस्यता अवधि के समतुल्य होगा जिसके स्थान पर उसे नामित या बहाल किया गया है।
- (ख) समिति/शासी परिषद् के द्वारा अपने सदस्यों की बहाली या नामांकन में कोई त्रुटि नहीं सहन किया जायेगा तथा समिति शासी परिषद् के किसी भी कार्य या कार्यवाही पर सिर्फ इस लिए प्रश्न नहीं उठेगा कि किसी सदस्य की जगह रिक्त है या इसके सदस्य की बहाली या नामांकन में कोई त्रुटि है।
- 10. समिति की बैठक :-**
- (i) समिति के बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी जिसके लिए तिथि और स्थान का निर्धारण अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा या अध्यक्ष जब कभी उचित समझते हैं तथा कम से कम चार सदस्यों के द्वारा दिये गये लिखित याचना पर भी समिति की बैठक बुला सकते हैं।
 - (ii) अध्यक्ष समिति की विशेष/असाधारण बैठक सात दिन के पूर्व सूचना पर बुला सकते हैं।
 - (iii) कंडिका (ii) में वर्णित कारण को छोड़कर समिति की प्रत्येक बैठक के लिए कम से कम 15 दिनों की पूर्व सूचना सदस्यों को देनी होगी तथा उन्हें ई-मेल द्वारा भी सूचित किया जायेगा।
 - (iv) समिति की किसी बैठक के लिए अध्यक्ष को शामिल करते हुए दो-तिहाई सदस्यों की गण-पूर्ति आवश्यक होगी।
 - (v) किसी बिन्दू पर मतभेद की दशा में बहुमत की सहमति प्रभावी होगी।
 - (vi) अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा। समिति के द्वारा निर्णय लेने में किसी प्रश्न पर मत समान होने की स्थिति में अध्यक्ष के द्वारा दिया गया मत निर्णायक होगा।
 - (vii) समिति की प्रत्येक बैठक अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी। अपरिहार्य परिस्थिति में अगर वे ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं तो शासी परिषद् के सभापति को वे प्राधिकृत कर सकते हैं।
- 11. शासी परिषद् का कार्यक्षेत्र, कार्य तथा शक्ति :-**
- शासी परिषद् साधारणतयः समिति के लक्ष्यों को अनुसरण तथा वहन करेगा जैसा कि मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में निर्धारित है तथा समिति द्वारा दिये गये नीतिगत निर्देश एवं दिशा-निर्देश का अनुसरण एवं अनुपालन करेगा।
- समिति के कार्यों का निधि का नियंत्रण, शासन तथा प्रबंधन शासी परिषद् के द्वारा समिति के निर्देशों तथा उप-नियम के अनुरूप विहित नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।
- शक्ति :-**
- शासी परिषद् समिति के वैसे सभी कार्यपालक तथा वित्तीय शक्तियाँ जो उसमें निहित हैं अथवा प्रदत्त हैं या किसी अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त किया जाना है, का इस्तेमाल कर सकेगा जो समिति के द्वारा समय-समय पर दिये गये ऐसे निर्देशों के अनुरूप होगा।
- मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियम, अधिनियमों तथा उप-नियम के आधार पर शासी परिषद् की शक्तियाँ निम्नतत् होगी :-
- (i) केन्द्र की स्थापना हेतु योजनाओं तथा कार्यक्रमों का सृजन एवं कार्यकारी करना तथा इसके प्रशासन एवं प्रबंधन का संचालन।
 - (ii) आय-व्ययक का अनुमोदन तथा इसके अनुसार व्यय की स्वीकृति।
 - (iii) आय-व्ययक में शामिल नहीं किये अप्रत्याशित खर्चों की स्वीकृति।
 - (iv) समिति के विधि का धारण एवं इसके लिए अनुदान एवं सहयोग राशि प्राप्त करना।

- (v) समिति के नीतियों के अनुरूप समिति के लक्ष्यों को विस्तारित करने हेतु वैसे पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण तथा शोध हेतु नियम विनियमों या दिशा निर्देशों को तैयार करना तथा ऐसे पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थियों के प्रवेश, प्रशिक्षण हेतु दिशा-निर्देश का निर्धारण।
- (vi) समिति के निमित्त किसी दूसरे संस्थानों से प्रबंधन तथा संबद्ध विषयों में शोध, शिक्षा तथा प्रशिक्षण में सहयोग एवं सहभागिता करना।
- (vii) समिति के कार्यों के निमित्त, उप-समिति का गठन, किसी पदाधिकारी या समिति को किसी कार्य हेतु या समिति के कार्य हेतु या समिति से संबंधित किसी विषय पर सलाह देने हेतु आवश्यक शक्ति प्रदत्त करना।
- (viii) (क) शासी परिषद् के कार्यों तथा समितियाँ जो इसके द्वारा नियुक्त की गई हैं, के कार्यों को चलाने हेतु। (ख) इसकी शक्तियों के प्रत्योजन या (ग) गणपूर्ति का निर्धारण हेतु समय-समय पर नियमों को बनाना, धारण करना, रद्द करना तथा बदलना।
- (ix) वैज्ञानिक तकनीकी तथा प्रशासनिक संवर्ग के पदों के सृजन हेतु कार्य प्रारंभ करना तथा सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करना।
- (x) वैज्ञानिक तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मचारी स्तर की परियोजनाओं के अंतर्गत नियुक्ति 05 वर्षों तक के लिए सीमित होगी एवं प्रतिवर्ष विस्तारित होने के आधार पर होगी अन्य समिति अवधि अथवा वार्षिक अवधि के संविदा पर नियुक्ति में प्राप्त होने वाली कुल राशि अगर समतुल्य पदों के वेतन बैंड-3 तथा ग्रेड पे-7600 रुपये से अधिक होगी तो राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

13. शासी परिषद् की शक्तियों का प्रतिनिधायन :-

केन्द्र के कार्यों के संचालन हेतु शासी परिषद् द्वारा समय-समय पर आवश्यक समझे जाने पर किसी प्रस्ताव के द्वारा अपने अधिकारों का प्रत्यायोजन शासी परिषद् द्वारा ही गठित समिति या सभापति, केन्द्र के निदेशक या अन्य पदाधिकारी को किया जा सकता है।

14. राज्य सरकार की शक्ति :-

राज्य सरकार अगर आवश्यक समझे तो केन्द्र लक्ष्यों को विस्तारित करने के उद्देश्य तथा केन्द्र के उचित एवं प्रभावी कृत्य हेतु निदेश जारी कर सकेगी तथा केन्द्र इन निर्देशों को अनुपालित करेगा।

15. निदेशक : नियुक्ति, अवधि कार्य तथा शक्ति :-

- (i) सरकार द्वारा निदेशक की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अनुशंसाओं के आधार पर राज्य सरकार केन्द्र निदेशक की नियुक्ति कर सकेगी जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक, प्रशासक होगा।
- (ii) उप नियम के आलोक में जबतक केन्द्र के लिए पूर्णकालिक की नियुक्ति नहीं हो जाती, शासी परिषद् अवैतनिक/कार्यवाहक उत्कृष्ट वैज्ञानिक/प्रशासक की नियुक्ति केन्द्र के निदेशक के रूप में कर सकेगा जिसे उप नियम के अनुसार केन्द्र के निदेशक की पूर्ण शक्ति कार्य एवं ओहदा प्राप्त होगा।
- (iii) केन्द्र के निदेशक की कार्य अवधि सामान्यतया तीन वर्षों की होगी परन्तु समिति के अनुशंसा पर उतने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है जितने की अनुशंसा समिति करेगी परन्तु यह अवधि राज्यों अथवा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के उप-कुलपति तथा केन्द्रीय तकनीकी संस्थान जैसे आई०आई०टी० के निदेशक की सेवानिवृत्ति की तय सीमा से अधिक नहीं होगी।
- (iv) निदेशक, केन्द्र का प्रधान कार्यकारी होगा। इन नियम तथा विनियमों, उप-नियमों तथा शासी परिषद् या समिति के किसी आदेश या निर्देश के अनुसार निदेशक केन्द्र के प्रशासन, प्रबंधन, वित्तीय आय-व्यय तथा लेखा के लिए शासी परिषद् के निदेशन में जिम्मेवार होगा।
- (v) निदेशक, केन्द्र के सभी सम्पत्ति, परिसम्पत्ति, अभिलेखों का संरक्षक होगा। वह शासी परिषद् के निमित्त केन्द्र के सभी वित्तीय लेन-देन का नियंत्रक तथा विभिन्न कार्यों के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी होगा।
- (vi) वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रशासनिक व्यक्तियों के सभी पद राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे तथा इन पर नियुक्ति समिति द्वारा प्रक्रियानुसार की जायेगी।
- (vii) निदेशक केन्द्र के कर्मचारियों के कार्यों को विहित करेगा तथा कर्मचारियों के कार्यों एवं आचरण का पर्यवेक्षण एवं अनुशासनात्मक नियंत्रण रखना तथा केन्द्र के सभी गतिविधियों पर साधारण पर्यवेक्षण भी रखेगा।

16. सेवा नियम :-

केन्द्र के सभी कर्मचारी केन्द्र की सेवा शर्तों के नियंत्रणाधीन होंगे।

17. सदस्यों द्वारा भ्रमण :-

शासी परिषद् या शासी परिषद् द्वारा नियुक्त किसी भी समिति के सभी गैर-सरकारी सदस्य उप-नियम द्वारा बनाये गये प्रावधानों के अंतर्गत यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता के लिए अधिकृत होंगे। जो शासी परिषद् या समिति के बैठकों या केन्द्र के किसी विषयवस्तु में भाग लेंगे। ये भत्ते राज्य सरकार के समतुल्य होंगे।

सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा एक ही उद्देश्य के लिए की गई यात्रा या दैनिक भत्ता के भुगतान की जिम्मेवारी केन्द्र की होगी। अगर केन्द्रीय या संबंधित राज्य सरकार इन भत्तों के भुगतान में असमर्थता व्यक्त करते हैं।

18. **समिति की निधि :-**
समिति की निधि निम्नलिखित रूप से होगी :-
- राज्य सरकार से प्राप्त आवर्ती तथा अनावर्ती अनुदान।
 - केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान।
 - अन्य श्रोतों से प्राप्त अभिदान तथा दान।
 - निवेशों तथा अन्य श्रोतों से प्राप्त आमदनी जिसमें सलाहकारी सेवायें शामिल हैं। केन्द्र की भावना तथा उद्देश्यों के विपरीत आने वाले दान शासी परिषद् द्वारा स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।
19. **कार्यों एवं लेखा परीक्षण का वित्तीय प्रतिवेदन :-**
- समिति का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चालू वर्ष में होगा।
 - निदेशक के द्वारा लेखा, लेखा परीक्षित लेखे तथा संबंधित अभिलेख का अनुरक्षण किया जायेगा तथा लेखा का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा।
 - शासी परिषद् द्वारा अनुमोदित निबंधित चार्टर्ड एकाउंटेंसी फर्म के द्वारा समिति का लेखा प्रत्येक वर्ष परीक्षित किया जायेगा।
 - लेखा परीक्षण का प्रतिफल लेखा-परीक्षक द्वारा निदेशक को बताया जाएगा जो इसकी एक प्रति अपनी टिप्पणी के साथ शासी परिषद् को उपलब्ध करायेगा।
20. केन्द्र के कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन, परीक्षित लेखा तथा तुलना-पत्र के साथ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा इसका अनुपालन जो भी हो उसे तैयार कर विहित समय सीमा के अंदर उत्तरवर्ती वर्ष में शासी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
वार्षिक प्रतिवेदन शासी परिषद् के द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत अनुमोदित प्रपत्र में राज्य सरकार को समर्पित किया जायेगा तथा इसे समिति के सदस्यों को भी परिचालित किया जायेगा एवं समिति की अगली बैठक में उपस्थापित किया जायेगा।
21. **नियमों में बदलाव की शक्ति :-**
शासी परिषद् के अनुशंसा के आधार पर समिति, समिति के प्रबंधन तथा प्रशासन एवं इसके लक्ष्यों को दूर तक ले जाने के लिए केन्द्र के लक्ष्य एवं उद्देश्यों तथा उप-नियमों नियम तथा विनियमों को स्वीकार, बदल एवं निष्प्रभावी कर सकता है।
22. **वैधिक कार्यवाही :-**
सोसाइटी निबंधन अधिनियम की धारा-6 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केन्द्र द्वारा जिस व्यक्ति के नाम का निवेदन पत्र दिया जायेगा वहीं केन्द्र का निदेशक होगा।
23. **राज्य सरकार द्वारा अधिकार में लेना :-**
अगर राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि समिति का कार्य सही तरीके से नहीं हो पा रहा है तो राज्य सरकार समिति के प्रशासकीय तथा सम्पत्तियों को अपने अधिकार में ले सकेगी।
24. **समिति का विघटन :-**
समिति के विघटन के विषय पर समिति के सभी ऋण तथा देनदारी, सम्पत्ति तथा परिसम्पत्ति जो शेष बचे हैं, को राज्य सरकार जैसे चाहे विनिश्चित कर सकेंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विवेक कुमार सिंह, प्रधान सचिव।

The National Dolphin Research Center (NDRC)

Bye-laws

1. SHORT TITLE, EXTENT AND COMMENCEMENT

(a) These Bye-Laws may be called the National Dolphin Research Centre Bye-laws, 2014 and shall be applicable to the National Dolphin research Centre and all other units functioning or operating under it.

(b) These bye-laws shall come into force from the date on which the society namely National Dolphin Research Centre is registered, under the Societies Registration Act, 1860.

2. DEFINITIONS

In these bye-laws unless the context otherwise requires:

(a) "Society" or "Centre" or "NDRC" means National Dolphin Research Centre, registered under the Societies Registration Act, 1860.

(b) "Governing Council" means a Governing Council constituted under these bye-laws, composed of such members of the Society and such other members as prescribed in the bye-laws.

(c) "President" means the President of the society.

(d) "Chairman" means the Chairman of the Governing Council.

(e) "State Government" means Government of Bihar.

(f) "Member-Secretary" means the Member-Secretary of the Society or the Governing Council as the case may be.

(g) "Director" means the Director of the Centre.

(h) "Member" means member of the Society or the Governing Council.

(i) "Year" means, unless otherwise specified by the Governing Council, the financial year of the Government of Bihar.

Words importing the singular number shall include the plural number and vice-versa. Words importing the masculine gender shall include the feminine gender.

3. HEADQUARTER

The headquarters of NDRC shall be located at Patna.

4. CONSTITUTION OF THE SOCIETY

The Society shall comprise of the following members:

(i)	Minister incharge the deptt. of Environment and Forest, Bihar, Patna	President
(ii)	Principal Secretary/Secretary to the government of Bihar, Department of Environment & Forests	Vice President
(iii)	Representative of Ministry of Environment and Forest, Government of India not below the rank of Director.	Member
(iv)	Chairman, Bihar State Pollution Control Board, Patna	-do-
(v)	Dean, Faculty of Science, Patna University, Patna.	-do-
(vi)	Representative of Finance Department, Government of Bihar not below the rank of Joint Secretary	-do-
(vii)	Chief Wildlife Warden, Bihar	-do-
(viii)	Chief Wildlife Warden, Uttar Pradesh	-do-
(ix)	Chief Wildlife Warden, West Bengal	-do-
(x)	Director, Zoological Survey of India or a Senior Scientist nominated by him.	-do-
(xi)	Director, Central Inland Fisheries Research Institute, Barrackpore, Kolkata.	-do-

(xii)	Principal Secretary/Secretary, Department of Urban Development, Govt. of Bihar or his nominee not below the rank of Joint Secretary.	-do-
(xiii)	Principal Secretary/Secretary, Department of Animal & Fish Resources, Govt. of Bihar or his nominee not below the rank of Joint Secretary.	-do-
(xiv) to (xvii)	Four distinguished persons in the fields of ecology/wildlife biology/animal sciences/environmental science or management/social scientist working in common property resources management of naturalists and conservationists or expert professionals in wildlife conservation or management with at least one member under this category being woman, to be nominated by the State Government	-do-
(xviii)	Director of the National Dolphin Research Centre	Member-Secretary

5. REGISTER OF MEMBERS

The society shall maintain a roll of members indicating their full names, address and occupations and each member shall sign the same. If a member of the society changes his address, he shall intimate his new address to the Member Secretary, who shall make necessary changes in the roll of members. In case, a member does not intimate the change of address to the member Secretary, his address given in the roll of members shall be deemed to be his correct address.

6. GOVERNING COUNCIL

(a) The Governing Council shall be the executive organ of the Society constituted of such members of the Society and such other officials as prescribed in the bye-laws hereafter and shall function under the direction, supervision and control of the Society.

(b) The Governing Council shall be responsible for management of the affairs of the Centre. The income and property of the Society shall be vested in the Governing Council.

7. CONSTITUTION OF THE GOVERNING COUNCIL: The Governing Council shall comprise of the following ex-officio and nominated members:

(i)	Principal Secretary/Secretary to the government of Bihar, Department of Environment & Forests	Chairman
(ii)	Nominee of Ministry of Environment & Forests, Government of India not below the rank of Director	Member
(iii)	Chairman, Bihar State Pollution Control Board, Patna	Member

(iv)	Dean, Faculty of Science, Patna University, Patna.	Member
(v)	Nominee of Vice-Chancellor, Patna University	Member
(vi)	Representative of the Finance Department, Government of Bihar not below the rank of Joint Secretary	Member
(vii)	Chief Wildlife Warden, Bihar	Member
(viii)	Chief Wildlife Warden, Uttar Pradesh/ West Bengal (by rotation for terms of 3 years)	Member
(ix)	Director, Ecology & Environment, Department of Environment & Forests, Government of Bihar	Member
(x)	Three of the members of NDRC Society under category (xiv) to (xvii), to be nominated by the President.	Member
(xi)	Director, National Dolphin Research Centre	Member-Secretary

8. TENURE OF OFFICE, CESSATION OR TERMINATION OF MEMBERSHIP OF SOCIETY AND GOVERNING COUNCIL

(a) The President of Society and the nominated members of Society and Governing Council shall have tenure of 3 years and they may be re-nominated.

(b) A nominated member of the Society or Governing Council shall cease to be such a member if he/she

- (i) Dies; or
- (ii) Resigns his membership; or
- (iii) Becomes of unsound mind; or
- (iv) Is convicted of a criminal offence involving moral turpitude, or
- (v) Except in the case of the Director of the Centre and faculty member of the Centre, he accepts a full time appointment in the Centre; or
- (vi) Fails to attend five consecutive meetings of the Society or the Governing Council without the leave of the President/Chairman.

(b) A nominated member of Society/ Governing Council (other than ex-officio members) may resign office by a letter addressed to the President/Chairman and such resignation shall take effect from the date it is accepted by the President/Chairman.

(c) A nominated member shall cease to be a member of society when his tenure of nomination expires.

(d) An ex-officio member shall cease to be a member of the Society/Governing Council when he ceases to hold the office by virtue of which he becomes a member of Society/Governing Council.

9. CASUAL VACANCY

(a) Any casual vacancy in the membership (other than ex-officio) of the Society/Governing Council, shall be filled by nomination in the like manner of an individual by State Government/ President as the case may be and the person so nominated to fill such casual vacancy shall hold office for the remainder of the term of the member in whose place he has been appointed or nominated.

(b) The Society/Governing Council shall function notwithstanding any defect in the appointment or nomination of any of its members and no act or proceeding of the Society/Governing Council shall be called to question, merely by reason of the existence of any vacancy therein or of any defect in the appointment or nomination of any of its members.

10. MEETING OF THE SOCIETY

(i) The Society shall ordinarily meet at least once in every year on such time and at a place as may be determined by the President, provided that the president may call a meeting of the Society whenever he thinks fit and shall call meeting upon a written requisition of not less than four members.

(ii) The President may call a special/extra ordinary meeting of the Society for which a notice of at least seven days shall be given.

(iii) For every meeting of the Society, except that called under (ii) herein above, fifteen day notice shall be given to the members and such notice may also be served by email communication.

(iv) One third of the members of the Society including the President shall constitute the quorum at any meeting of the Society.

(v) In case of a difference of opinion amongst the members, the opinion of the majority shall prevail.

(vi) Each member of the Society, including the President shall have one vote and if there be an equality of votes on any question to be determined by the society, the President shall in addition have and exercise a casting vote.

(vii) Every meeting of the Society shall be presided over by the President, provided that under exceptional circumstances of his inability to do so, he may authorize, the Chairman, Governing Council to preside over the meeting on his behalf.

11. SCOPE, FUNCTIONS, AND POWERS OF GOVERNING COUNCIL: The Governing Council shall generally pursue and carry out the objects of the Society as set forth in its Memorandum of Association and in doing so, shall follow and implement the policy directions and guidelines given by the Society.

The affairs and funds of the Society shall be managed, administered and controlled by the Governing Council in accordance with the directions of the Society and subject to the by-laws and the prescribed rules.

POWERS:

The Governing Council shall exercise all executive and financial powers of the Society, including those vested in or conferred or to be conferred on it by or under any statute, subject to such directions as the Society may give, from time to time.

Subject to the provisions of the Memorandum of Association and the rules and regulations and bye-laws framed there under, the Governing Council shall have the powers as under:

- (i) To prepare and execute plans and programs for the establishment of the Center and to carry on its administration and management.
- (ii) To approve the budget estimates and sanction expenditure in accordance with such budget.
- (iii) To sanction expenditure on unforeseen items not included in the budget estimates.
- (iv) To receive grants and contributions and to have custody of the funds of the Society
- (v) To make rules and regulations or guidelines for conducting such courses of study, training and research in accordance with the policy laid down by the Society in areas relevant to furthering the objects of the Society and to prescribe rules/guidelines for the admission of candidates to such courses, training etc.
- (vi) To cooperate and collaborate with any other organization in the matter of research, education and training in management and allied subjects on behalf of the Society.
- (vii) To appoint Committees of Sub-Committees, delegate necessary powers to any officer of committee for any function or business of the Society or for tendering advice in any matter pertaining to the Society.
- (viii) To make, adopt, amend, vary or rescind from time to time, the rules for: (a) the conduct of the business of the Governing Council and the committees to be appointed by it; (b) delegation of its powers; or (c) fixing the quorum.
- (ix) To initiate the process of creation of posts of Scientist, Technical and Administrative Cadres and send the proposal the Government
- (x) To make appointments under projects for tenures limited to 5 years with annual terms extendable on yearly basis and other short-term contractual appointments for yearly or shorter periods in Scientist, Technical and Administrative staff categories,

provided that in case of short-term appointments for which the consolidated remuneration exceeds the corresponding amount for the positions in the Pay-scales of Pay-Band 3 Grade pay Rs. 7600 or equivalent replacement scale, prior approval of State Government will be obtained.

- (xi) To Prescribe, subject to the provisions of (ix) and (x) here above, the procedure for selection and appointments against posts, terms and tenure of appointments, pay-scale and allowances, and to make rules of discipline and other conditions of service for the staff and officers of the Society.
- (xii) To prescribe terms and conditions governing scholarships, fellowships, deputations, grants-in-aid, research schemes and projects and establishment of research stations/units; and such other matter as may be necessary for the scientific functions and administration of the related affairs of the Society.
- (xiii) To enter into the execution of contracts, invest funds of the Society, sell or alter such investment and accounts and audit related thereto.
- (xiv) To sue and defend all legal proceedings on behalf of the Society.

12. MEETING OF THE GOVERNING COUNCIL

- a) The Governing Council may meet as often as necessary but at least once in six months. A special meeting may be called by the Chairman on requisition of minimum seven members.
- b) One third of the members of the Governing Council, including the Chairman shall constitute the quorum for any meeting of the Governing Council.
- c) The notice of the meeting would be served on the members of the Governing council at least fifteen days before the date of the meeting. Serving of notice for this purpose by email communication shall also be treated as valid.
- d) In case of difference of opinion amongst the members of Governing Council on a question of sufficient importance, the opinion of the majority shall prevail. The Chairman may however refer any question, which in his opinion is of sufficient importance for the decision of the State Government. The decision of the State Government shall be binding on the Society and its Governing Council.
- e) Each member of the Governing Council, including the Chairman shall have one vote and if there shall be an equality of votes on any question to be determined by the Governing Council, the Chairman shall in addition have and exercise a casting vote.

- f) Every meeting of the Governing Council shall be presided over by the Chairman. In the absence of Chairman a member chosen from amongst them by the members present at the meeting shall preside over such meeting.
- g) Any resolution, except such as may be placed before the meeting of the Governing Council, may be adopted by circulation among all its members and any resolution so circulated and adopted by a majority of the members who have signified their approval of such resolution shall be as effective and binding as if such resolution has been passed at a meeting of the Governing Council, provided that in every such case at least seven members of the Governing Council shall have recorded their approval of the resolution.
- h) The Chairman of the Governing Council shall have the power to invite any person or persons, not being members of the Governing Council, to attend the meetings of the Governing Council, but such invitees shall not be entitled to vote at the meeting.

13. DELEGATION OF THE POWER OF THE GOVERNING COUNCIL

The Governing Council may, by resolution to the effect delegate to a committee appointed by it or to the Chairman, Director or other officer of the Center, such of its powers for the conduct of the affairs of the Centre as it may consider necessary and desirable from time to time.

14. POWERS OF THE STATE GOVERNMENT

The State Government may issue such directives to the Centre as it may consider necessary, for the furtherance of the objectives of the Centre and for ensuring proper and effective functioning of the Centre and the Centre shall comply with such directives.

15. DIRECTOR: APPOINTMENT, TENURE, FUNCTIONS AND POWERS

- (i) The Director of the Center who shall be a distinguished scientist administrator in the relevant field shall be appointed by the State Government after taking into account the recommendations of a selection committee constituted by the Government for this purpose.
- (ii) Until such time as a full time Director of the Centre is appointed in accordance with the bye-laws, the Governing Council may appoint a distinguished scientist/administrator as Honorary/Officiating Director and the person so appointed shall have full powers, functions and status or the Director in accordance with these bye-laws.
- (iii) The tenure of the Director shall normally be three years and may, on the recommendation of the Society, be extended for such period, as the Society may recommend, but not going beyond the age of superannuation prescribed as for the posts of Vice-Chancellor of State of Central Universities/Director of Centrally Funded Technical Institutes like Indian Institute of Technology.

- (iv) The Director shall be the principal executive of the Centre. Subject to these rules and regulations, bye-laws and subject to any orders or directives of the Governing Council or Society, the Director shall be responsible for the administration and management including financial budgeting and accounting under the guidance of the Governing Council.
- (v) The Director shall be custodian of all the assets and records of the Centre; he shall be the controller of all financial transactions, and the authorized signatory on behalf of the Governing Council for the relevant purposes.
- (vi) All the posts of Scientific, technical and Administrative personnel shall be sanctioned by the State Govt. and the Appointments to these posts shall be made by the Society after observance of due process.
- (vii) He shall prescribe duties of the employees of the Centre; exercise supervision and disciplinary control over the work and conduct of the employees of the Centre and coordinate and exercise general supervision over all the activities of the Centre.

16. SERVICE RULES

The staff of the Center will be governed by the service rules of the Centre.

17. TRAVEL BY MEMBERS

The non-government members of the Governing Council or of any Committees appointed by the Governing Council, shall be entitled to such travelling and daily allowance (s) as may be provided in the bye-laws and rules in this behalf in respect of any journey undertaken by such members for attending the meetings of the Governing Council or of the Committees or in connection with any other business of the Centre, provided that till such time the provisions are made in the bye-laws rules, the same shall be at par with equivalent status as in State Government.

Travelling and daily allowance(s) in respect of Government representatives for the journeys undertaken by them for similar purposes shall be borne by the center, if the Central or the concerned State Government is unable to bear such expenditure.

18. FUNDS OF THE SOCIETY

The funds of the Society shall consist of the following:

- (i) Recurring and non-recurring grants made by the State Government;
- (ii) Grants made by the Central Government;
- (iii) Contributions and benefactions from other sources;
- (iv) Income from investments and other sources, including consultancy services.

No benefaction shall be accepted by the Governing Council which, in its opinion, involves conditions or obligations opposed to the spirit and objects of the Centre.

19. FINANCIAL YEAR REPORT OF WORKING AND AUDIT

- (i) The financial year of the Society shall be from the 1st April to 31st of March of the following year.
- (ii) The Director shall maintain proper accounts, audited accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the balance sheet in such form as may be prescribed.
- (iii) The accounts of the society shall be audited annually by the registered Chartered Accountancy firm as approved by the Governing Council.
- (iv) The results of the audit shall be communicated by the Auditor to the Director, who shall submit a copy to the Audit report along with its observations to the Governing Council.

20. ANNUAL REPORT

The Annual Report of the working of the Centre together with balance sheet and audited accounts, the Audit Report and the compliance thereof as the case may be, shall be prepared and placed before the Governing Council within the prescribed time limit in the succeeding year. The Annual Report in the form as finally approved/accepted by the Governing Council shall thereafter be submitted to the State Government, circulated to the members of the Society and placed in the next meeting of the Society.

21. POWERS TO AMEND RULES

The Society can make, adopt, amend, vary or rescind at any time on the recommendation of the Governing Council, the Aims and Objects and the Bye-laws, Rules and Regulations for any purpose connected with the management and administration of the affairs of the Society and for the furtherance of its objects.

22. LEGAL PROCEEDINGS

For the Purpose of Section 6 of the Societies Registration Act, the person in whose name the Centre may sue or be sued shall be the Director of the Centre.

23. TAKING OVER BY THE STATE GOVERNMENT

In case the State Government is satisfied that the Society is not functioning properly, the State Government shall have the powers to take over the administration and assets of the Society.

24. DISSOLUTION OF SOCIETY

In case of dissolution of the Society, after the satisfaction of all its debts and liabilities, any assets and property whatsoever that remains, the same shall be dealt with in such manner as the State Government may determine.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विवेक कुमार सिंह, प्रधान सचिव।

सं० कारा/नि०को०(अधी०)-०१-०२/२०२५-९२८२

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

22 दिसम्बर 2025

श्री विधु कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना के विरुद्ध अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में दर्ज आर्थिक अपराध थाना काण्ड संख्या- ०१/२०२५, दिनांक-०३.०१.२०२५ धारा-१३ (२) सहपठित १३(१)(बी)/१२ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९८८ (यथा संशोधित २०१८) तथा भ्रष्ट आचरण, पद के दुरुपयोग एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के घोर उल्लंघन के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-२००५ के नियम-९ (१) (क) एवं (ग) के तहत अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक-६७७ दिनांक-२२.०१.२०२५ द्वारा श्री विधु कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा निलंबनावस्था में उनका मुख्यालय केन्द्रीय कारा, बक्सर निर्धारित किया गया।

२. अप्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित उक्त आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक-४७९३ दिनांक-०१.०७.२०२५ द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है, जिसके संचालन हेतु मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा सहायक कारा महानिरीक्षक (मु०), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। विभागीय कार्यवाही की जाँच सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।

३. श्री विधु कुमार द्वारा निलंबन से मुक्त करने संबंधी आवेदन समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षापरांत श्री विधु कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना (सम्प्रति निलंबित) संलग्न केन्द्रीय कारा, बक्सर को कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

४. श्री कुमार के निलंबन अवधि के संबंध में अलग से निर्णय उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के उपरांत लिया जायेगा।

५. उपरोक्त पर माननीय उप मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजीव जमुआर, अपर सचिव-सह-निदेशक (प्र०)

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, ४०-५७१+१०-डी०टी०पी०।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>